बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग, अधिसूचना संख्या 1747 दिनांक-21.4.2007 बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007(बिहार अधिनियम, 11, 2007) की धारा 486 एवं धारा 487 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 419 में प्रावधानित पूर्व प्रकाशन की शर्तो को शिथिल कर बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 14 के अ यधीन नगरपालिका निर्वाचन के सम्यक् सम्पादन हेतु बिहार राज्यपाल निम्नलिखित बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 बनाते है-

भाग - I
परिभाषाएँ

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ**- (1) यह नियमावली बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 कही जाएगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत होगी।

2. **परिभाषाएं।**- जब तक संदर्भ अथवा प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हों, इसमें

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007

(ख) "उपनिर्वाचन" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 484 एवं इस नियमावली के नियम 114 के अधीन आकस्मिक रिक्ति को भरने हेतु किया गया निर्वाचन।

(ग) "अभ्यर्थी" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो किसी निर्वाचन में सम्यक रूप से अभ्यर्थी के रूप में नामांकित किया गया है या नामांकित किए जाने का दावा करता है और इसमें वह अभ्यर्थी सम्मिलित है जो अपने आप को संबंधित निर्वाचन में भावी उम्मीदवार के रूप में पेश करता है।

(घ) "भ्रष्ट आचरण" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 481 में निर्दिष्ट कोई आचरण।

(ङ) "सामान्य निर्वाचन" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 12 की उप धारा (6) के अधीन पार्षद् के पदो के लिए किया गया निर्वाचन।

(च) किसी नगरपालिका के संबंध में "निर्वाचक" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसका नाम उस वार्ड की मतदाता सूची में तत्समय अंकित है।

(छ) "मताधिकार" से अभिप्रेत है किसी व्यक्ति का किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में खड़ा होने या नहीं खड़ा होने या नाम वापस लेने या मतदान करने या मतदान नहीं करने से संबंधित अधिकार।

(ज) "प्रपत्र" से अभिप्रेत है इस नियमावली में उपवर्णित प्रपत्र, जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग की अपेक्षानुसार परिवर्तन किया जा सकता है।

(झ) "निर्वाचन अपराध" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 454 से 469 में निर्दिष्ट कोई अपराध।

(ञ) "निबंधन पदाधिकारी" से अभिप्रेत है इस नियमावली के नियम 5 के अधीन नियुक्त कोई पदाधिकारी।

(ट) "निर्वाचित अभ्यर्थी" से अभिप्रेत है ऐसा अभ्यर्थी जिसका नाम अधिनियम की धारा 14 के अधीन निर्वाचित पार्षद् के रूप में प्रकाशित किया गया है अथवा जो अधिनियम की धारा

23 की उपधारा (1) के अंतर्गत नगरपालिका के मुख्य पार्षद् या उप मुख्य पार्षद् के रूप में निर्वाचित हुआ है।

(ठ) "निर्वाची पदाधिकारी" से अभिप्रेत है अधिनियम के अधीन उस रूप में नियुक्त कोई पदाधिकारी।

(ड) "धारा" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा।

(ढ) "वार्ड" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 13 के अधीन बने नियमों में यथाविनिर्दिष्ट क्षेत्र।

भाग–II

मतदाता सूची की तैयारी

3. मतदाता के रूप में निबंधन हेतु अर्हता।–किसी नगरपालिका के निर्वाचन में मतदाता के रूप में निबंधन हेतु वही योग्यता होगी जो अधिनियम की धारा 451 में यथाउपबंधित है।

4. मतदाता सूची।–नगरपालिका के प्रत्येक वार्ड के लिए एक मतदाता सूची होगी।

5. निबंधन पदाधिकारी।–प्रत्येक वार्ड की मतदाता सूची ऐसे अधिकारी (इस नियमावली में निबंधन पदाधिकारी के रूप में निर्दिष्ट) द्वारा तैयार एवं प्रकाशित की जाएगी जिसे राज्य निर्वाचन आयोग अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियुक्त करें।

परन्तु यह कि राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के अधीन निबंधन पदाधिकारी अपनी अधिकारिता के क्षेत्र अंतर्गत मतदाता सूची की तैयारी से संबंधित सभी कार्यों समन्वय एवं पर्यवेक्षण करेगा।

6. मतदाता सूची की तैयारी एवं प्रकाशन हेतु अभिकरण।–मतदाता सूची की तैयारी एवं प्रकाशन के उद्देश्य से निबंधन पदाधिकारी ऐसे अभिकरणों की सेवा ले सकता है , जो वह उचित समझे।

7. वार्ड की मतदाता सूची का उपविभाजन।–निबंधन पदाधिकारी किसी वार्ड का इस प्रकार से अथवा उतने भागों में उपविभाजन कर सकेगा जो वह मतदाता सूची की शीघ्र तैयारी एवं उसे शुकर बनाने के उद्देश्य हेतु आवश्यक समझे।

8. मतदाता सूची का प्रपत्र।–प्रत्येक वार्ड की मतदाता सूची हिन्दी में देवनागरी लिपी में ऐसे प्रपत्र में तैयार की जाएगी जो राज्य निर्वाचन आयोग निदेश करे।

9. प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन।–(1) निबंधन पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक वार्ड की मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन निम्नलिखित स्थलों पर मतदाता सूची की पूर्ण प्रति सर्वसाधारण के निरीक्षण हेतु चिपकाकर की जाएगी:-

(क) नगरपालिका के मुख्य कार्यालय में;

(ख) नगरपालिका के अंचल कार्यालय में, अगर कोई हो;

(ग) वार्ड क्षेत्र अंतर्गत स्थित थाना अथवा थाना जिसके क्षेत्रान्तर्गत वार्ड या वार्ड का अंश स्थित है

(घ) वार्ड क्षेत्रान्तर्गत स्थित डाकघर, जिसे निबंधन पदाधिकारी उचित समझे;

(ङ) नगरपालिका के बाजारों एवं वैसे आम वाचनालय तथा आम पुस्तकालय, जहाँ निबंधन पदाधिकारी उचित समझे;

(2) इसके अलावा निबंधन पदाधिकारी द्वारा ढोल पिटवाकर भी तथा नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर नोटिस चिपकाकर और आवश्यक समझे जाने पर स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर ऐसी घोषणा कर सकेगा कि मतदाता सूची या सूचियां तैयार की गई हैं और उप नियम (1) में अंकित स्थानों पर उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

10. प्रारूप मतदाता सूची की मुद्रित प्रतियों की सर्वसाधारण के लिए बिक्री।–नियम 9 के अधीन प्रकाशित मतदाता सूची की मुद्रित प्रतियां सर्वसाधारण को उस युक्तियुक्त मूल्य पर बेची जाएगी जो नगरपालिका का कार्यपालक अधिकारी समय-समय पर निर्धारित करें।

11. रिभाईजिंग अथॉरिटी की नियुक्ति।–

(1) (i) मतदाता सूची में किसी नाम की प्रविष्टि करने से संबंधित दावे अथवा किसी नाम की प्रविष्टि से संबंधित आपत्ति के निष्पादन के उद्देश्य से , निबंधन पदाधिकारी किसी वार्ड या वार्ड के अंश के लिए ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को रिभाईजिंग अथॉरिटी के सभी या किसी कर्तव्य का पालन करने हेतु लिखित रूप में नियुक्त कर सकेगा

परन्तु यह कि नगरपालिका का कोई भी अधिकारी अथवा सेवक रिभाईजिंग अथॉरिटी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा।

(ii) रिभाईजिंग अथॉरिटी इस नियमावली के अधीन अपने कर्तव्यों के पालन हेतु कार्यपालक पदाधिकारी से उसकी शक्ति अथवा अधिकार में रखे गए सभी संगत अथवा आवश्यक दस्तावेजों या कागजातों को प्रस्तुत करने हेतु कह सकेगा।

(2) कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा निबंधन पदाधिकारी एवं रिभाईजिंग अथॉरिटी को इस नियमावली के द्वारा अधिरोपित उनके कर्तव्यों के निष्पादन हेतु सभी आवश्यक सहयोग दिया जाएगा।

12. दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने हेतु सूचना।–(1) नियम 9 के अधीन मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ ही, उसी तरीके से प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के स्थानों में एक स्थानीय हिन्दी दैनिक में **प्रपत्र–1** में एक सूचना प्रकाशित की जाएगी तथा निबंधन पदाधिकारी द्वारा स्थानीय समाचार पत्रों में इस आशय की एक प्रेस विज्ञप्ति भी दी जाएगी कि मतदाता सूची में सम्मिलित व्यक्ति यथाविहित तरीके से कोई आपत्ति प्रकाशित मतदाता सूची के संबंध में दे सकते हैं एवं अपना नाम अंकित कराने हेतु यथाविहित तरीके से दावा कर सकते हैं। ऐसी सूचना में प्रत्येक वार्ड के लिए यह निर्दिष्ट रहेगा कि ऐसे दावे /आपत्ति किस रिभाईजिंग अथॉरिटी को किस स्थान पर एवं उपनियम (1) में उल्लिखित किस समयावधि तक दी जा सकेगी ।

(2) ऐसा प्रत्येक दावा अथवा आपत्ति प्रपत्र-2 अथवा प्रपत्र-3, जो समुचित हो में नियम 9 के अधीन मतदाता सूची के प्रकाशन के चौदह दिनों के अंदर दी जाएगी।

(3) ऐसा दावा अथवा आपत्ति रिभाईजिंग अथॉरिटी को संबोधित होगा एवं जो या तो उप नियम (2) में निर्दिष्ट नोटिस में उल्लिखित रिभाईजिंग अथॉरिटी को प्रस्तुत की जाएगी अथवा उसे डाक द्वारा भेज दी जाएगी ताकि वह उक्त अवधि के अन्दर उसे प्राप्त हो जाए। उपनियम (2) के अधीन अथवा उसमें निर्दिष्ट अवधि के अंतर्गत दावा अथवा आपत्ति दर्ज नहीं किए जाने अथवा विहित तरीके से भिन्न तरीके से दर्ज करने अथवा दावा या आपत्ति दर्ज करने हेतु हकदारी नहीं रखने वाले व्यक्ति द्वारा दर्ज करने वाले व्यक्ति पर ऐसा दावा या आपत्ति अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

13. दावों एवं आपत्तियों से संबंधित विशिष्टियां।–(1) प्रत्येक दावा अथवा आपत्ति लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उन बिन्दुओं का उल्लेख रहेगा जिस पर यह आधारित है , और अगर इसका संबंध प्रांरभिक मतदाता सूची में किसी प्रविष्टि से है, तब उस प्रविष्टि के संदर्भ में विवरण भी उसमें अंकित रहेगा।

(2) दावा या तो उस व्यक्ति द्वारा स्वयं , जो अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलित कराना चाहता है अथवा उस व्यक्ति द्वारा लिखित रूप से अधिकृत किसी अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित रहेगा, और अगर ऐसा दावा या आपत्ति डाक से नहीं भेजा गया हो, तो उसे वह व्यक्ति स्वयं या अपने अभिकर्ता द्वारा प्रस्तुत करेगा।

14. सूची में नामों को सम्मिलित करने हेतु दावा।–किसी एक वार्ड की मतदाता सूची से कोई नाम अन्य वार्ड में स्थानान्तरित करने संबंधित कोई आवेदन स्वीकृत नहीं किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा स्थानान्तरण चाहता है तो उसे उस वार्ड की मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित होने के संबंध में आपत्ति तथा दूसरे वार्ड की मतदाता सूची में अपने नाम के निबंधन के लिए दूसरा एवं अलग दावा प्रस्तुत करना होगा।

15. दावे एवं आपत्तियों की पंजी।–रिभाईजिंग अथॉरिटी एवं निबंधन पदाधिकारी द्वारा दावे एवं आपत्तियों से संबंधित एक पंजी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित प्रपत्र में संधारित की जाएगी।

16. दावे एवं आपत्तियों की सूचना।–उन मामलों को छोड़कर, जहाँ रिभाईजिंग अथॉरिटी प्रथम द्रष्टया किसी दावे की विधिमान्यता के संबंध में संतुष्ट है, प्रत्येक व्यक्ति को जिसका दावा अथवा आपत्ति समय के

अंतर्गत प्राप्त होता है, रिभाईजिंग अथॉरिटी द्वारा प्रपत्र -4 में एक सूचना दी जाएगी जिसमें दावे या आपत्ति की सुनवाई का स्थान एवं समय निर्दिष्ट रहेगा तथा वह व्यक्ति ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत कर अथवा करवा सकता है, जो वह चाहे, लेकिन ऐसे साक्ष्य के अभाव में रिभाईजिंग अथॉरिटी नगरपालिका के अभिलेख में वर्णित संगत प्रविष्टियों के आधार पर मामले का निपटारा करेगा।

17. सूची में प्रविष्टि के प्रति आपत्ति।—अगर किसी व्यक्ति द्वारा जिसका नाम प्रारूप मतदाता सूची में दर्ज है, मतदाता सूची में दर्ज दूसरे व्यक्ति के नाम की प्रविष्टि पर आपत्ति की जाती है तो रिभाईजिंग अथॉरिटी द्वारा प्रपत्र-5 में ऐसे दूसरे व्यक्ति को नोटिस दी जाएगी जिसमें उस आपत्ति के आधार का विवरण रहेगा तथा आपत्ति की सुनवाई हेतु वह स्थान एवं समय निर्दिष्ट रहेगा, जहाँ और जब वह व्यक्ति ऐसे साक्षियों के साथ जो वह चाहे, उपस्थित होगा;

परन्तु यह कि अगर रिभाईजिंग अथॉरिटी को कोई आपत्ति तुच्छ अथवा अपर्याप्त आधार पर बनाई गई प्रतीत हो, तो रिभाईजिंग अथॉरिटी आपत्तिकर्ता को एक नोटिस देकर निर्दिष्ट तिथि पर उपस्थित होकर स्वयं अथवा अपने अभिकर्ता के माध्यम से आपत्ति को सिद्ध करने हेतु कहेगा; और वैसी स्थिति में दूसरे व्यक्ति को कोई नोटिस नहीं दी जाएगी, जब तक की रिभाईजिंग अथॉरिटी संतुष्ट नहीं हो जाए की आपत्ति का पर्याप्त आधार है, और अगर आपत्तिकर्ता उपस्थित होने में एवं अपनी आपत्ति को स्वयं या अपने अभिकर्ता द्वारा निर्धारित तिथि तक सिद्ध करने में असफल रहता है, तो रिभाईजिंग अथॉरिटी यह समझेगा कि कोई आपत्ति की ही नहीं गई है।

18. रिभाईजिंग अथॉरिटी द्वारा सूचना निर्गत करने की प्रक्रिया।—(1) रिभाईजिंग अथॉरिटी द्वारा निर्गत की जाने वाली प्रत्येक सूचना लिखित रूप में होगी एवं दावा/आपत्ति देने के समय ही संबंधित व्यक्ति को तामिल करा दी जाएगी, एवं दूसरे संबंधित व्यक्ति को प्रारूप मतदाता सूची में दर्ज पते पर डाक द्वारा या अन्य साधनों से, जिसमें सुविज्ञापित साधारण/विशिष्ट सूचना सम्मिलित है, एवं जो रिभाईजिंग अथॉरिटी उचित समझे, तामिल कराई जाएगी।

(2) जिस व्यक्ति के विरुद्ध आपत्ति की गई हो उसे सूचना आपत्ति की सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि के सात दिन पूर्व डाक द्वारा भेजी जाएगी अथवा उक्त तिथि के तीन दिन पूर्व तामिल कराई जाएगी , अगर उसे डाक से भिन्न तरीके से तामिल कराया गया है।

19. निबंधन पदाधिकारी द्वारा दावों / आपूर्त्तियों का स्थानान्तरण।—निबंधन पदाधिकारी किसी रिभाईजिंग अथॉरिटी के पास लंबित दावों या आपत्तियों को उस वार्ड या वार्ड के अंश के लिए जिससे वह संबंधित है, नियुक्त किसी अन्य रिभाईजिंग अथॉरिटी के पास निष्पादन हेतु स्थानान्तरित कर सकता है।

20. दावों एवं आपत्तियों की सूचना का प्रकाशन।—निबंधन पदाधिकारी नगरपालिका के कार्यालय के सूचना-पट पर, समय-समय, पर ऐसी सूचना प्रकाशित कराएगा, जिसमें सामान्यतया वह दिन, वह समय एवं वे स्थान अंकित रहेंगे जहाँ रिभाईजिंग अथॉरिटी दावों एवं आपत्तियों की सुनवाई के लिए बैठेंगे।

21. रिभाईजिंग अथॉरिटी द्वारा दावों का निष्पादन।—रिभाईजिंग अथॉरिटी सभी दावों एवं आपत्तियों का निष्पादन निबंधन पदाधिकारी द्वारा नियत तिथि निश्चित रूप से कर देंगे।

22. दावों एवं आपत्तियों के संबंध में रिभाईजिंग अथॉरिटी द्वारा जाँच।—सुनवाई हेतु नियत तिथि के दिन अथवा जिस दिन के लिए सुनवाई स्थगित की गई है, रिभाईजिंग अथॉरिटी दायर दावों या आपत्तियों के संबंध में संक्षिप्त जाँच करेगा एवं दावों अथवा आपत्तियों को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने से संबंधित आदेश अभिलिखित करेगा। जाँच के उद्देश्य से नियम-9 के अधीन यथाप्रकाशित सूची सही मानी जाएगी। इस नियम के अधीन किसी कार्यवाही के समय कोई पक्ष वकील द्वारा अपना प्रतिनिधित्व नहीं करा सकेगा।

23. दावों एवं आपत्तियों के संबंध में रिभाईजिंग अथॉरिटी द्वारा जाँच।—रिभाईजिंग अथॉरिटी अपना निर्णय निबंधन पदाधिकारी को संसूचित करेगा, जो तद्नुसार सूची में संशोधन कराएगा। रिभाईजिंग अथॉरिटी मतदाता सूची में कोई लिपिकीय अथवा मुद्रण भूल पाए जाने पर उसे सुधारने का निदेश भी दे सकेगा।

24. रिभाईजिंग अथॉरिटी स्वप्रेरणा से यथाप्रकाशित मतदाता सूची में किसी लिपिकीय भूल या अपूर्ण प्रविष्टि के संशोधन का आदेश दे सकेगा।—अगर वह संतुष्ट है कि ऐसा किया जाना चाहिए। उसी तरह मतदाता सूची से किसी अपूर्ण प्रविष्टि, जो ठीक नहीं की जा सकती अथवा वैसे

किसी व्यक्ति का नाम विलोपित करने का आदेश दे सकेगाई

(क) जिसकी सूची में यथाप्रविष्ट योग्यता उसके निबंधन हेतु हकदारी के लिए पर्याप्त नहीं है, या

(ख) जो किसी अयोग्यता अथवा अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अधिरोपित निर्योग्यता के कारण मतदान करने से निःशक्त नहीं हो गया है, या

(ग) इसकी मृत्यु हो जाने के संबंध में उसे प्रमाण दिया गया है, या

(घ) उसी वार्ड में एक से अधिक स्थान पर जिसका नाम अंकित है,

परन्तु यह कि (i) खण्ड (क) या (ख) के अधीन कोई आदेश पारित करने के पूर्व, रिभाईजिंग अथॉरिटी , अगर ऐसा करना आसानी से संभव हो, संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का मौका देगा, एवं

(ii) खण्ड (घ) के तहत कोई आदेश पारित करने के पूर्व रिभाईजिंग अथॉरिटी उस व्यक्ति को जिसका नाम उसी वार्ड में एक से अधिक बार प्रविष्ट है, सूचना निर्गत करेगा कि वह सूचना में निर्गत समय भीतर यह बतलाए कि वह कौन सी प्रविष्टि को बनाए रखना चाहता है।

25. निबंधन पदाधिकारी की शक्ति एवं कृत्य।—निबंधन पदाधिकारी, स्वप्रेरणा से भी, मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के पहले रिभाईजिंग अथॉरिटी को नियम 24 द्वारा प्रदत्त किसी अथवा सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा।

26. मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन।—इस प्रकार संशोधित मतदाता सूची अंतिम मतदाता सूची होगी एवं नियम - 9 में निर्दिष्ट तरीके से पुनः प्रकाशित की जाएगी, एवं पुनर्प्रकाशन के तुरंत बाद से प्रवृत हो जाएगी एवं चार वर्षों की अवधि तक प्रवृत रहेगी। इस अवधि के बीत जाने के बाद इस नियमावली के अधीन नई मतदाता सूची बनाई जाएगी।

(2) अगर किसी मतदाता सूची के प्रवृत रहने के अवधि के समाप्ति के पश्चात एवं नई मतदाता सूची के तैयार होने के पूर्व किसी वार्ड को पार्षद का चुनाव करने के लिए कहा जाए तो उस निर्वाचन के लिए वही मतदाता सूची उक्त वार्ड के लिए मतदाता सूची बनी रहेगी।

(3) प्रत्येक वार्ड की अंतिम मतदाता सूची की तीन प्रतियां नगरपालिका के मुख्य कार्यालय में संरक्षित की जाएगी।

(4) नियम 26 के उपनियम(1) के अधीन प्रकाशित अन्तिम मतदाता सूची की मुद्रित प्रतियों का विक्रय, उस कीमत पर किया जायेगा जो मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा, समय--समय पर नियत की जायेगी

27. विशिष्ट मामलों में अंतिम प्रकाशन के पश्चात् मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण।—(1) अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, राज्य निर्वाचन आयोग किसी भी समय किसी वार्ड या उसके अंश की मतदाता सूची में लिखित कारणों से पुनरीक्षण करने का आदेश दे सकेगा। इसके पश्चात निबंधन पदाधिकारी द्वारा वैसी मतदाता सूची में जोड़ी जाने वाली अथवा हटाई जाने वाली अथवा परिवर्तित की जाने वाली प्रविष्टियों की सूची तैयार की जाएगी एवं इस सूची के मामले में भी इस नियमावली के सभी प्रावधान उसी प्रकार लागू होंगे, जैसा कि वे मतदाता सूची के मामले में लागू होते हैं।

(2) तत्समय प्रवृत्त वार्ड की मतदाता सूची में निबंधन योग्य किसी व्यक्ति का नाम प्रविष्ट नहीं रहने अथवा प्रविष्ट रहने पर किसी विवरण के संबंध में अशुद्धि रहने पर संबंधित व्यक्ति मतदाता सूची के अंतिम रूप से प्रकाशित होने के बाद कभी भी परन्तु वार्ड के निर्वाचन हेतु मतदान के पूर्व , निबंधन पदाधिकारी को मतदाता सूची के स्वयं से संबंधित प्रविष्टि में सुधार करने के लिए आवेदन दे सकता है एवं निबंधन पदाधिकारी वैसी सूचना अथवा वैसी जाँच , जो वह उचित समझे , के बाद संतुष्ट हो जाता है कि आवेदक निबंधित होने के योग्य है अथवा संबंधित मतदाता सूची में उससे संबंधित प्रवृष्टि ठीक कर ली जानी चाहिए, तो वह मतदाता सूची में आवेदक से संबंधित किसी प्रविष्टि को शामिल करने या उससे संबंधित प्रविष्टि में आवश्यक सुधार करने का आदेश दे सकता है,

परन्तु यह कि इस उपनियम के अधीन कोई आवेदन तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा अगर इसके साथ पचास रूपए की फी नहीं लगी हुई हो, जो किसी भी हालत में वापस नहीं की जाएगी।

(3) अगर उपनियम (1) के तहत कोई सूची पुनः प्रकाशित की जाती है या उपनियम (2) के तहत कोई निदेश निर्गत किया जाता है तब उस सूची या निदेश से संबंधित मतदाता सूची तद्नुसार संशोधित समझी जाएगी।

28. मतदाता सूची की तैयारी पर हुए व्यय का वहन नगरपालिका द्वारा किया जाएगा।—मतदाता सूची की तैयारी एवं मुद्रण, सूचना का प्रकाशन एवं इस नियमावली के अधीन की गई किसी कार्रवाई पर हुए व्यय का भुगतान नगरपालिका निधि से किया जाएगा।

परन्तु यह कि अगर मतदाता सूची की तैयारी एवं प्रकाशन से संबंधित कार्य में लगे निबंधन पदाधिकारी एवं अन्य कर्मी राज्य सरकार के कर्मी हो, तो उन्हें राज्य सरकार द्वारा यथानिर्धारित दर से भत्ते का भुगतान किया जाएगा एवं नगरपालिका अपनी निधि से उक्त भुगतान किए गए भत्ते की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार को कर देगी।

भाग– III

निर्वाचन क्षेत्रों का गठन, आरक्षण एवं आवंटन (वार्ड/नगरपालिका)

29. नगरपालिका के वार्डों का गठन एवं संख्यांकन।—(1) अधिनियम की धारा 7 एवं 13 के प्रावधानों के अधीन वार्डों का गठन एवं उनका संख्यांकन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। प्रत्येक नगरपालिका के वार्ड की सूची राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित तरीके से **प्रपत्र–6** में प्रकाशित की जाएगी।

(2) वार्डों में आरक्षण के लिए स्थानों का निर्धारण :- (i) प्रत्येक नगरपालिका में पार्षद् के पदों के निर्वाचन के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं इन कोटियों की महिलाओं के लिए अनुमान्य संख्या में सीटों का आरक्षण एवं आवंटन अधिनियम की धारा 12 (2)(a) के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में जिला दंडाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(ii) सर्वप्रथम अधिनियम की धारा 12(2) के अधीन प्रत्येक श्रेणी के लिए आरक्षित किए जाने वाले वार्डों की संख्या की गणना प्रपत्र-7 में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित तरीके से की जाएगी।

(iii) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अवरोही क्रम में अधिकतम जनसंख्या वाले वार्ड अनुमान्य संख्या में अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए, जैसा मामला हो, आरक्षित एवं आवंटित किए जाएंगे।

इस प्रकार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों में से यथाशक्य पचास प्रतिशत किन्तु इससे अनधिक स्थान अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, जैसा मामला हो, की महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अवरोही क्रम में प्रथम आने वाले वार्डों को इन कोटि की महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा।

(iv) अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग को मिलाकर अधिकतम पचास प्रतिशत आरक्षण की अधिसीमा के अंतर्गत, प्रत्येक नगरपालिका के वार्डों के कुल स्थानों का अधिकतम बीस प्रतिशत स्थान, पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किए जाएंगे। इसके लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी:-

(i) संबंधित नगरपालिका के सभी वार्डों को निम्न प्रकार सजाया जाएगा

(क) प्रपत्र-8 में कोटिवार (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य एवं कुल)जनसंख्या

(ख) प्रपत्र-9 में जनसंख्या के अवरोही क्रम में अनुसूचित जाति की जनसंख्या, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या, अन्य वर्ग की जनसंख्या एवं कुल जनसंख्या (अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य वर्ग)।

(ii) वे वार्ड जो अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति (उनकी महिलाओं सहित) के लिए आरक्षित एवं आवंटित किए गए हैं, वे पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित नहीं किए जाएंगे। पिछड़ा वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण एवं आवंटन शेष वार्डों के बीच से किया जाएगा।

(iii) कुल जनसंख्या के अवरोही क्रम में सबसे अधिक जनसंख्या वाले वार्ड अनुमान्य संख्या में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किए जाएंगे। पिछड़ा वर्ग के लिए इस प्रकार आरक्षित वार्डों में से अनुमान्य संख्या

में वे वार्ड पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे जो कुल जनसंख्या के अवरोही क्रम में सबसे पहले आते हैं।

(iv) इस प्रकार आरक्षित/अनारक्षित वार्डों का विवरण **प्रपत्र-10** में तैयार किया जाएगा।

30. नगरपालिकाओं के आरक्षण हेतु स्थानों का निर्धारण।—अधिनियम की धारा 29 के अधीन प्रत्येक नगरपालिका (नगर पंचायत, नगर परिषद् एवं नगर निगम) के मुख्य पार्षद् के निर्वाचन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग (उनकी महिलाओं सहित) के लिए अनुमान्य संख्या में स्थानों का आरक्षण एवं आवंटन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाएगा, जिसके लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:-

(i) राज्य की सभी नगरपालिकाओं (नगर पंचायत, नगर परिषद् एवं नगर निगम के लिए अलग-अलग) को निम्न रूप से सजाया जाएगा:-

(क) प्रपत्र-8 में कोटिवार (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य वर्ग)में कोटिवार जनसंख्या

(ख) प्रपत्र-9 में जनसंख्या के अवरोही क्रम में अनुसूचित जाति की जनसंख्या, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या, अन्य वर्ग की जनसंख्या एवं कुल जनसंख्या (अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य वर्ग)।

(ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अवरोही क्रम में अधिकतम जनसंख्या वाले नगरपालिकाओं को अनुमान्य संख्या में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए आरक्षित एवं आवंटित किया जाएगा। इस प्रकार आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में से यथाशक्य पचास प्रतिशत किन्तु इस से अनधिक नगरपालिकाएं , जनसंख्या के अवरोही क्रम में प्रथम आने वाली नगरपालिकाएं अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी।

(iii) अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग को मिलाकर अधिकतम पचास प्रतिशत आरक्षण की अधिसीमा के अंतर्गत, राज्य में प्रत्येक कोटि की नगरपालिका के मुख्य पार्षदों के कुल स्थानों का अधिकतम बीस प्रतिशत स्थान, पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किए जाएंगे। इसके लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी:-

जो नगरपालिकाएं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (उनकी महिलाओं सहित) के लिए आरक्षित एवं आवंटित की गई हैं वे पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित नहीं की जाएंगी।

कुल जनसंख्या के अवरोही क्रम में सबसे अधिक कुल जनसंख्या वाले नगरपालिकाओं को अनुमान्य संख्या में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया जाएगा। इस प्रकार पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित नगरपालिकाओं में से उन नगरपालिकाओं को पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए अनुमान्य संख्या में आरक्षित किया जाएगा जो कुल जनसंख्या के अवरोही क्रम में सबसे पहले आती हैं।

(iv) इस प्रकार आरक्षित /अनारक्षित नगरपालिकाओं का विवरण प्रपत्र -10 में तैयार किया जाएगा।

31. आरक्षण हेतु शर्तें।—(1) पूर्ववर्ती चुनाव में किसी कोटि विशेष के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र पश्चातवर्ती चुनाव में उसी कोटि के लिए आरक्षित नहीं किया जाएगा

परन्तु यह कि अगर कोई निर्वाचन क्षेत्र किसी विशेष कोटि की महिला के लिए आरक्षित किया गया था तो यह पश्चातवर्ती चुनाव में दूसरी कोटि की महिला के लिए आरक्षित किया जा सकता है।

परन्तु यह भी कि अगर कोई निर्वाचन क्षेत्र अन्य (अनारक्षित) कोटि से महिला के लिए आरक्षित किया गया था तो यह पश्चातवर्ती चुनाव में अन्य (अनारक्षित) कोटि की महिला के लिए आरक्षित नहीं किया जाएगा।

(2) अगर कोई विकल्प न हो तब पूर्ववर्ती चुनाव में किसी कोटि विशेष को आवंटित निर्वाचन क्षेत्र पश्चातवर्ती चुनाव में उसी कोटि को पुनः आवंटित किया जा सकता है।

32. वार्ड / नगरपालिका की संख्या का निर्धारण।—विभिन्न कोटियों के लिए आरक्षित की जाने वाली वार्डों/नगरपालिकाओं की संख्या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

33. जनसंख्या बराबर रहने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया।—एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड/नगरपालिका) में जनसंख्या बराबर रहने की स्थिति में संख्यांकन क्रम में पहले आने वाला निर्वाचन क्षेत्र

संबंधित कोटि को आवंटित किया जाएगा।

34. वार्डों / नगरपालिकाओं का चक्रानुक्रम।—जहाँ तक व्यवहारिक रूप से संभव हो, वार्ड/नगरपालिकाओं का आवंटन चक्रानुक्रम में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित तरीके से किया जाएगा।

35. एकल पद की स्थिति में कोई आरक्षण नहीं।—अगर किसी कोटि में मात्र एक ही पद उपलब्ध है तो यह महिला के लिए आरक्षित नहीं किया जाएगा।

36. निर्वाचन क्षेत्रवार आरक्षण पंजी का संसारण।—निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण के सिलसिले में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित प्रपत्र में नगरपालिका स्तर पर वार्डवार जनसंख्या पंजी तथा आयोग स्तर पर नगरपालिका वार जनसंख्या पंजी क्रमशः जिला दंडाधिकारी एवं राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संधारित की जाएगी।

परन्तु यह कि नगरपालिका स्तर पर तैयार की गई पंजियों की एक प्रति जिला दंडाधिकारी द्वारा आयोग को उपलब्ध कराई जाएगी तथा प्रत्येक पंजी की एक प्रति नगरपालिका एवं जिला कार्यालयों में संरक्षित कर रखी जाएगी।

37. जिला दंडाधिकारी द्वारा आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) की सूची का प्रकाशन।—जिला दंडाधिकारी द्वारा तैयार आरक्षित/अनारक्षित वार्डों की सूची प्रपत्र-10 में नगरपालिका के कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय एवं जिला दंडाधिकारी के कार्यालय में प्रकाशित की जाएगी तथा प्रत्येक की एक प्रति नगरपालिका एवं जिला कार्यालय में संरक्षित कर रखी जाएगी।

38. आयोग के स्तर पर आरक्षित / अनारक्षित नगरपालिकाओं की सूची प्रपत्र 10 में आयोग कार्यालय एवं जिला दंडाधिकारी के कार्यालय में प्रकाशित की जाएगी।

39. आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की सूची का सरकारी गजट में प्रकाशन।—नियम-37 एवं नियम -38 के अधीन प्रकाशित आरक्षित/अनारक्षित निर्वाचन क्षेत्रों को, जैसी स्थिति हो, जिला गजट/राज्य गजट में प्रकाशित किया जाएगा।

भाग—IV

पार्षदों के निर्वाचन का संचालन

40. पार्षदों के निर्वाचन की अधिसूचना।—(1) पार्षदों के कार्यकाल की अवधि समाप्त हो जाने के बाद नगरपालिका के गठन अथवा अधिनियम के प्रावधानों के अधीन इसके पुनर्गठन के उद्देश्य से राज्य सरकार राज्य निर्वाचन आयोग की अनुशंसा पर राजकीय गजट में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा निर्वाचन की तिथि या तिथियों को निर्धारित करेगी एवं मतदाताओं से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे अधिनियम के प्रावधानों के अधीन नगरपालिका के पदधारको को निर्वाचित करें।

परन्तु यह कि ऐसी कोई अधिसूचना निर्वाचन के लिए नियत तारीख के छः महीने पूर्व नहीं निकाली जा सकेगी।

(2) उपनियम(1) के अधीन निर्धारित तिथि में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है, अगर अदृश्य एवं अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण ऐसा करना आवश्यक हो जाए एवं इस तरह परिवर्तित तिथि उपनियम (1) के अधीन नियत तिथि या तिथियां समझी जाएगी।

(3) उपनियम (2) के अधीन तिथि या तिथियों में परिवर्तन से परिवर्तन के पूर्व में की गई कोई कार्रवाई प्रभावित नहीं होगी, बशर्ते कि राज्य निर्वाचन आयोग लिखित कारणों से अन्यथा निदेशित करे।

41. निर्वाचन की विशिष्टियों की सूचना।—(1) निर्वाची पदाधिकारी नियत करेगा कि

(क) नामांकन दाखिल करने हेतु अंतिम तिथि जो उपनियम (2) के अधीन प्रपत्र-11 में सूचना प्रकाशन की तिथि से आठ दिन पूर्व अथवा चौदह दिन बाद का नहीं होगा।

(ख) नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथि, जो नामांकन देने के अंतिम दिन के तीसरे दिन के बाद का नहीं होगा;

परन्तु यह कि नामांकन की संवीक्षा हेतु एक या अधिक लगातार तिथियां निर्धारित की जा सकती हैं।

(ग) अभ्यर्थिता की वापसी हेतु अंतिम तिथि जो संवीक्षा की तिथि के बाद तीसरा दिन होगा अथवा नामांकन की संवीक्षा की अंतिम तिथि के बाद, जैसी स्थिति हो, तीसरा दिन होगा; और

(घ) मतदान, अगर आवश्यक हो, की तिथि या तिथियां, जो अभ्यर्थिता वापसी की अंतिम तिथि के बाद पन्द्रहवें दिन से पहले नहीं होगा।

(2) निर्वाची पदाधिकारी उपनियम (1) के अधीन नियत तिथि का प्रकाशन प्रपत्र-11 में सूचना देकर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित तरीके से करेगा।

(3) इस नियमावली में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ उपनियम (1) के खण्ड -(क), (ख) या (ग) के अधीन नियत कोई तिथि निगोशियेबुल इन्स्ट्रुमेन्ट्स ऐक्ट 1881(1881का xxvi) की धारा 25 के अर्थ के अंतर्गत सार्वजनिक अवकाश हो या राज्य के अधीन सरकारी कार्यालयों में अवकाश के रूप में मनाने हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो, तब दिया गया प्रत्येक नामांकन पत्र अथवा नामांकन की की गई संवीक्षा या अभ्यर्थिता वापसी की सूचना सही समय पर दायर, की गई अथवा दी गई मानी जाएगी, अगर वैसा नामांकन पत्र या संवीक्षा दूसरे दिन, जो न तो सार्वजनिक अवकाश है, न ही ऐसा अधिसूचित किया गया है, के तीन बजे अपराह्न के पूर्व दिया गया हो या की गई हो।

42. अभ्यर्थियों का नामांकन एवं फीस का निक्षेपण।–(1) नियम 41 के उपनियम (1) के अधीन नियत तिथि का या उसके पहले प्रत्येक अभ्यर्थी पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे के बीच निर्वाची पदाधिकारी को नियम 41 के उपनियम (2) के अधीन निर्गत सूचना में निर्दिष्ट स्थान पर, प्रपत्र -12 में एक नामांकन पत्र **स्वयं** प्रस्तुत करेगा जिसमें नामांकन के लिए अभ्यर्थी की सहमति तथा दो व्यक्तियों का हस्ताक्षर प्रस्तावक एवं समर्थक के रूप में रहेगा।

(2) प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम वार्ड की मतदाता सूची में निबंधित है और जो मतदान करने हेतु अर्हित है और जो अधिनियम के अधीन अभ्यर्थी के रूप में किसी अयोग्यता के अधीन नहीं है, वह वार्ड में भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के अनुसार उतने नामांकन पत्रों में प्रस्तावक या समर्थक के रूप में कार्य कर सकता है, किन्तु उससे अधिक नहीं।

(3) कोई व्यक्ति एक से अधिक अभ्यर्थी के लिए प्रस्तावक या समर्थक नहीं हो सकता है।

(4) कोई व्यक्ति जो किसी वार्ड विशेष से स्वयं अभ्यर्थी है, वह उसी वार्ड से किसी दूसरे अभ्यर्थी के लिए प्रस्तावक या समर्थक नहीं हो सकता है।

(5) वार्ड विशेष से किसी अभ्यर्थी के लिए कोई प्रस्तावक या समर्थक स्वयं उस वार्ड से अभ्यर्थी नहीं हो सकता है।

(6) प्रस्तावक या समर्थक द्वारा एक बार किसी नामांकन पत्र को हस्ताक्षर कर देने के पश्चात उसे इससे वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

43. नामांकन पत्र का प्रस्तुतीकरण एवं विधिमान्य नामांकन के लिए अपेक्षाएं।–(1) निर्वाची पदाधिकारी द्वारा कोई भी नामांकन पत्र प्राप्त नहीं किया जाएगा अगर इसके साथ निम्नलिखित संलग्न नहीं हो:-

(क) मतदाता के रूप में अंकित रहने से संबंधित उद्घोषणा,

(ख) किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि अथवा किसी न्यायालय में लंबित अपराधिक मामलों के संबंध में उद्घोषणा।

(ग) अनुसूचित जाति /जनजाति/पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की सुविधाओं तथा नामांकन फी की सुविधा प्राप्त करने को इच्छुक व्यक्तियों द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी/जिला दंडाधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग का होने के सबूत में जाति प्रमाण पत्र।

(घ) नगर पंचायत/नगर परिषद् एवं नगर निगम में पार्षद के पद हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग /महिलाओं के लिए क्रमशः दो सौ रूपए, पाँच सौ रूपए एवं एक हजार रूपए का

सरकारी चालान अथवा नाजीर रसीद तथा नगर पंचायत, नगर परिषद एवं नगर निगम में पार्षद के पद हेतु क्रमशः चार सौ रूपए, एक हजार रूपए एवं दो हजार रूपए का सरकारी चालान अगर अभ्यर्थी वैसे वर्गों का सदस्य नहीं है।

(ङ) अभ्यर्थी संबंधी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यथानिर्दिष्ट विवरण,

(च) राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित प्रपत्र में अभ्यर्थी के परिसंपत्तियों एवं देनदारियों, शैक्षणिक योग्यता आदि के संबंध में सशपथ उदघोषणा।

(2) निर्वाची पदाधिकारी द्वारा कोई भी नामांकन पत्र प्राप्त नहीं किया जाएगा अगर चुनाव लड़ने के इच्छुक अभ्यर्थी द्वारा इस नियमावली के उप नियम(1) के उपखण्ड (घ) में वर्णित आवश्यक फी जमा नहीं कर दी गई हो।

परन्तु यह कि जहाँ उसी वार्ड से निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक नामांकन पत्र भरा गया है, वहाँ उससे एक से अधिक फी की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(3) कोई नामांकन पत्र, जो नियम 41 के उपनियम (1) के खण्ड (क) के अधीन नियत अंतिम दिन के तीन बजे अपराह्न के पहले प्राप्त नहीं होता हो, अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(4) नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जाने पर निर्वाची पदाधिकारी स्वयं संतुष्ट हो लेगा कि नामांकन पत्र में अभ्यर्थी, उसके प्रस्तावक एवं समर्थक के नाम एवं मतदाता सूची क्रमांक वही है जो मतदाता सूची में अंकित है।

परन्तु यह कि निर्वाची पदाधिकारी

(क) नामांकन पत्र में उक्त नामों या संख्या में किसी लिपिकीय भूल को मतदाता सूची की संगत प्रविष्टियों के अनुरूप बनाने हेतु शुद्ध करने का आदेश दे सकेगा; और

(ख) जहाँ आवश्यक हो, किसी लिपिकीय या मुद्रण भूल को नजरअंदाज करने का निदेश दे सकेगा।

(5) इस नियमावली में कोई भी बात किसी अभ्यर्थी को **एक से अधिक नामांकन पत्र किन्तु दो से अधिक नहीं**, के द्वारा नामांकित होने से नहीं रोकेगी।

44. नामांकन एवं समीक्षा के समय और स्थान की सूचना।—नियम 41 के उपनियम (1) के अधीन नामांकन पत्र प्राप्त करने पर, निर्वाची पदाधिकारी नामांकन पत्र देने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों को नामांकन की संवीक्षा हेतु तिथि, समय एवं स्थान की सूचना देगा एवं नामांकन पत्र पर उसका क्रमांक अंकित करेगा और उसमें एक प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करेगा जिसमें किस तिथि को एवं किस समय उसे नामांकन पत्र दिया गया इसका उल्लेख रहेगा और इसके बाद यथाशीघ्र अपने कार्यालय के किसी सहजदृश्य स्थान पर नामांकन के संबंध में सूचना चिपकाएगा जिसमें अभ्यर्थी, प्रस्तावक तथा समर्थक के रूप में हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों के संबंध में नामांकन पत्र में दिए गए विवरण के समान सूचना रहेगी।

45. अभ्यर्थियों को नामांकन पत्रों के निरीक्षण की सुविधा देना।—नियम 44 के अंतर्गत नामांकन की जाँच के लिए नियत तिथि पर अभ्यर्थी, उनके निर्वाचन अभिकर्ता, प्रत्येक अभ्यर्थी का एक प्रस्तावक और एक समर्थक, लेकिन कोई अन्य व्यक्ति नहीं, उस समय या स्थान पर, जिसे निर्वाची पदाधिकारी नियत करे, उपस्थित हो सकता है; और निर्वाची पदाधिकारी सभी अभ्यर्थियों के उन नामांकन पत्रों का निरीक्षण करने के लिए सभी पर्याप्त सुविधाएं उन्हें प्रदान करेगा जिन्हे समय के भीतर परिदत्त किया गया है।

46. नामांकन पत्रों की संवीक्षा।—निर्वाची पदाधिकारी नामांकन पत्रों की जाँच करेगा और सभी आपत्तियों का निर्णय करेगा जो किसी नामांकन के संबंध में की जा सकती हैं और या तो उस आपत्ति पर या स्वप्रेरणा से उस संक्षिप्त जाँच के पश्चात यदि कोई हो और, जिसे वह आवश्यक समझे, निम्नलिखित आधारों में से किसी आधार पर किसी नामांकन को अस्वीकृत कर सकता है:-

(i) कि अभ्यर्थी अधिनियम के अंतर्गत सीट को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित नहीं है या निरर्हित है; या

(ii) कि प्रस्तावक या समर्थक का नाम उस वार्ड की मतदाता सूची में निबंधित नहीं है जहाँ के लिए अभ्यर्थी नामांकित किया गया है; या

(iii) कि प्रस्तावक या समर्थक ने एक अन्य नामांकन पत्र पर भी हस्ताक्षर किया है, जो पहले ही निर्वाची पदाधिकारी को प्राप्त हो गया है; या

(iv) कि अभ्यर्थियों के नामांकन से संबंधित अधिनियम अथवा नियमावली के किन्हीं प्रावधानों की अनुपालना नहीं की गई है; या

(v) कि अभ्यर्थी या प्रस्तावक या समर्थक वह व्यक्ति नहीं है जिसका मतदाता सूची क्रमांक नामांकन पत्र में उस अभ्यर्थी; प्रस्तावक या समर्थक, जैसा भी मामला हो, के रूप में अंकित हो; या

(vi) कि नामांकन पत्र पर अभ्यर्थी या उसके प्रस्तावक या उसके समर्थक का हस्ताक्षर असली नहीं है या धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया है; या

(vii) कि नामांकन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज समर्पित नहीं किए गए हैं :-

(क) निर्वाचक के रूप में सूचीबद्ध रहने की उद्‌घोषणा;

(ख) किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि अथवा न्यायालय में लंबित आपराधिक मामले के संबंध में उद्‌घोषणा;

(ग) अनुसूचित जाति /जनजाति/पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की सुविधाओं तथा नामांकन फी की सुविधा प्राप्त करने को इच्छुक व्यक्तियों द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी/जिला दंडाधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग का होने के सबूत में जाति प्रमाण पत्र;

(घ) जमा की गई फी का चालान अथवा रसीद।

स्पष्टीकरण :—उपनियम (1) के उद्देश्य हेतु:-

(i) किसी वार्ड की मतदाता सूची या मतदाता सूची में की गई किसी प्रविष्टि की सत्यापित प्रति उस प्रविष्टि में नामित किसी अभ्यर्थी के चुनाव लड़ने या नामांकन पत्र देने , जो भी स्थिति हो, के अधिकार का स्पष्ट साक्ष्य मानी जाएगी, जब तक यह साबित नहीं होता है कि अभ्यर्थी या प्रस्तावक या समर्थक अधिनियम या इस नियमावली के अधीन निरर्हित है।

(ii) जहाँ किसी व्यक्ति ने प्रस्तावक या समर्थक के रूप में, भरी जाने वाली रिक्तियों से अधिक संख्या में नामांकन पत्र भरा है, तब केवल वो नामांकन पत्र, जो भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या तक पहले प्राप्त हुए हैं, विधिमान्य होंगे।

(2) उपनियम (1) के खण्ड (ii), (iii), (iv) एवं (v) में समाविष्ट कुछ भी नामांकन पत्र के संबंध में किसी अनियमितता के आधार पर किसी अभ्यर्थी के नामांकन को अस्वीकृत करने हेतु आधार नहीं माना जाएगा, यदि अभ्यर्थी को अन्य नामांकन पत्र के जरिए सम्यक रूप से नाम निर्दिष्ट किया गया है, जिसके संबंध में कोई अनियमितता कारित नहीं की गई है।

(3)उपनियम (1) के खण्ड (iv) में समाविष्ट कुछ भी नामांकन पत्र को अस्वीकृत करने का आधार नहीं माना जाएगा अगर मतदाता सूची या नामांकन पत्र की प्रविष्टियों में किसी लिपिकीय भूल या गलत नाम या किसी व्यक्ति या स्थान का अपूर्ण विवरण होते हुए भी निर्वाची पदाधिकारी अभ्यर्थी या उसके प्रस्तावक या उसके समर्थक की पहचान के संबंध में संतुष्ट हो जाता है।

(4)निर्वाची पदाधिकारी नियत तिथि पर संवीक्षा करेगा और कार्यवाहियों के किसी स्थगन को स्वीकृत नहीं करेगा, सिवाय जब ऐसी कार्यवाहियां बलवे या खुली हिंसा द्वारा या उसके नियंत्रण से बाहर कारणों द्वारा विच्छिन्न या बाधित होती हैं;

परन्तु यदि कोई आपत्ति की जाए, संबंधित अभ्यर्थी को संवीक्षा के लिए नियत तिथि से एक दिन छोड़कर अगले दिन का , न कि उसके पश्चात का , समय उसको खंडित करने हेतु स्वीकृत किया जा सकेगा और निर्वाची पदाधिकारी उस तिथि पर अपने निर्णय को अभिलिखित करेगा जिस तिथि के लिए कार्यवाहियां स्थगित की गई हैं।

47. निर्वाची पदाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।—निर्वाची पदाधिकारी प्रत्येक नामांकन पत्र पर उसे स्वीकृत या अस्वीकृत करने के अपने निर्णय को अभिलिखित करेगा और अगर नामांकन पत्र को

अस्वीकृत किया जाता है या आपत्ति के निपटारे के पश्चात स्वीकृत किया जाता है तो उस अस्वीकृति या स्वीकृति के लिए अपने कारणों के संक्षिप्त विवरण को लिखित में अभिलिखित करेगा तथा निर्वाची पदाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

48. विधिमान्य नामांकनों की सूची का प्रकाशन और अभ्यर्थिता की वापसी।–

(1) सभी नामांकन पत्रों की संवीक्षा किए जाने के तुरंत पश्चात और उन्हें स्वीकृत या अस्वीकृत करने के निर्णय को अभिलिखित कर लेने के पश्चात निर्वाची पदाधिकारी विधिमान्य रूप से नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगा, अर्थात् ऐसे अभ्यर्थियों की सूची जिनके नामांकन पत्र विधिमान्य पाए गए हैं, और अपने सूचना पट पर इसे लगाएगा।

(2) विधिमान्य नामांकनों की सूची हिन्दी में देवनागरी लिपि में वर्णानुक्रम रूप से विधिमान्य रूप से नामांकित अभ्यर्थियों के नामांकन पत्र में उल्लिखित पते के साथ तैयार की जाएगी।

(3) वैसी प्रत्येक सूची प्रपत्र-14(क) में तैयार की जाएगी और उसकी तैयारी के तुरंत पश्चात निर्वाची पदाधिकारी इस सूची की एक प्रति अपने कार्यालय के सदृश्य स्थान तथा नगरपालिका के मुख्य कार्यालय में लगाएगा।

(4) कोई भी अभ्यर्थी प्रपत्र-13 में लिखित सूचना द्वारा अपनी अभ्यर्थिता वापस ले सकता है, जो अभ्यर्थी द्वारा व्यक्तिगत रूप से निर्वाची पदाधिकारी को नियम 41 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) के अंतर्गत नियत दिन पर अपराह्न 3 बजे से पहले परिदत्त किया जाएगा। अभ्यर्थिता वापस ले लेने पर उस अभ्यर्थी को वापसी को रद्द करने की अनुमति अथवा उसी निर्वाचन के लिए पुनः नामांकित किए जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(5) निर्वाची पदाधिकारी उपनियम (4) के अधीन वापसी की सूचना प्राप्त होने पर तथा इसे परिदत्त करने वाले व्यक्ति की पहचान और वापस लेने की सूचना की सत्यता के बारे में संतुष्ट होने पर यथाशीघ्र ऐसी सूचना को अपने कार्यालय के किसी सहज दृश्य स्थान पर लगवाएगा।

49. निक्षेप (डिपोजिट) वापस नहीं किया जाएगा।–नियम 43 के अंतर्गत नामांकन पत्र के साथ जमा किया गया नामांकन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा एवं निर्वाचन की समाप्ति के पश्चात संबंधित नगरपालिका निधि में जमा कर दिया जाएगा।

50. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची की तैयारी एवं प्रकाशन।–(1) अगर किसी वार्ड में अभ्यर्थिता वापसी के पश्चात् विधिमान्य रूप से नामांकित अभ्यर्थियों की संख्या भरे जाने वाले स्थानों से अधिक हो जाती है, तो निर्वाची पदाधिकारी इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत किसी सामान्य अथवा विशेष निदेश के अधीन, प्रत्येक अभ्यर्थी को एक अलग प्रतीक चिह्न आवंटित करेगा। राज्य निर्वाचन आायेग के किसी सामान्य अथवा विशेष निदेश तथा उपनियम (2) के प्रावधानों के अधीन इस उपनियम के अंतर्गत किसी अभ्यर्थी को प्रतीक चिह्न आवंटित करने के संबंध में निर्वाची पदाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

(2) प्रत्येक मामले में जहाँ उपनियम (1) के अधीन किसी अभ्यर्थी को प्रतीक का आवंटन किया गया है, निर्वाची पदाधिकारी द्वारा उस अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता को तुरंत लिखित रूप में आवंटित प्रतीक के संबंध में सूचित कर दिया जाएगा और उसका एक नमूना उसे उपलब्ध करा दिया जाएगा, और एक बार किसी अभ्यर्थी को आवंटित प्रतीक बिना राज्य निर्वाचन आयोग की पूर्व अनुमति के बदला नहीं जा सकेगा।

(3) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची प्रपत्र-14(ख) में तैयार की जाएगी और उसकी तैयारी के तुरंत पश्चात निर्वाची पदाधिकारी इस सूची की एक प्रति अपने कार्यालय के सदृश्य स्थान तथा नगरपालिका के मुख्य कार्यालय में लगाएगा।

51. सविरोध और निर्विरोध निर्वाचनों में प्रक्रिया।–(1) यदि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी की संख्या भरी जाने वाली सीटों की संख्या से अधिक हो, तो मतदान कराया जाएगा।

(2) यदि उन अभ्यर्थियों की संख्या भरी जाने वाली सीटों की संख्या के बराबर हो तो निर्वाची पदाधिकारी सभी ऐसे अभ्यर्थियों को तुरंत सम्यक रूप से निर्वाचित घोषित करेगा।

(3) अगर किसी वार्ड के चुनाव में कोई भी विधिमान्य रूप से नामांकित अभ्यर्थी न हो तो राज्य निर्वाचन

आयोग नियम 40 में निर्दिष्ट तरीके से वार्ड से उक्त सीट को उस तिथि के पूर्व भरने हेतु कह सकेगा जो इस संबंध में उसके द्वारा नियत किया जाए;

परन्तु यह कि जहाँ इस उपनियम के अधीन कोई वार्ड रिक्ति को भरने हेतु किसी व्यक्ति का चुनाव करने में असफल रहे, तब निर्वाची पदाधिकारी उस वार्ड को पुनः निर्वाचन कराने के लिए कहने हेतु तबतक बाध्य नहीं होगा जब तक कि इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कोई तिथि नियत नहीं कर दी जाए।

52. मतदान के लिए समय नियत करना।—राज्य निर्वाचन आयोग समय को नियत करेगा, जिसके दौरान मतदान किया जाएगा, और नियत समय को उस तरीके से प्रकाशित किया जाएगा, जिसे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किया जाए।

परन्तु यह कि निर्वाचन में मतदान के लिए किसी एक दिन पर आवंटित कुल अवधि आठ घंटो से कम नहीं होगी।

53. मतदान केन्द्र एवं पीठासीन तथा मतदान पदाधिकारी।—(1) राज्य निर्वाचन आयोग के सामान्य नियंत्रण एवं निदेशन के अधीन निर्वाची पदाधिकारी प्रत्येक वार्ड के लिये एक या अधिक मतदान केन्द्रों की स्थापना करेगा तथा इस तरह स्थापित मतदान केन्द्रों एवं वार्डों जिनके लिये वैसे मतदान केन्द्र स्थापित किये गये हैं, की सूची राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यथानिर्दिष्ट तरीके से प्रकाशित की जायेगी। मतदान केन्द्रों की सूची पर इसके अन्तिम प्रकाशन के पहले राज्य निर्वाचन आयोग का अनुमोदन प्राप्त कर लेना अनिवार्य होगा। राज्य निर्वाचन आयोग पर्याप्त एवं युक्तियुक्त कारण दृष्टि में लाये जाने पर अन्तिम प्रकाशन के बाद भी मतदान केन्द्रों की सूची में परिवर्तन करने का निदेश दे सकेगा।

(2) निर्वाची पदाधिकारी प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिये एक पीठासीन पदाधिकारी तथा पीठासीन पदाधिकारी की सहायता करने हेतु वैसे अन्य व्यक्तियों (जो इसमें आगे मतदान पदाधिकारी के रूप में संदर्भित हैं) को, जो वह उचित समझे, नियुक्त करेगा।

(3) अगर पीठासीन पदाधिकारी किसी बीमारी अथवा अन्य अपरिहार्य कारण से मतदान केन्द्र से अनुपस्थित रहने के लिए बाध्य हो जाये, तब उसकी अनुपस्थिति में उसके कार्यों का सम्पादन उस मतदान पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा, जिसे निर्वाची पदाधिकारी वैसे कार्य करने हेतु प्राधिकृत करे, और इस तरह प्राधिकृत मतदान पदाधिकारी को इस नियमावली में पीठासीन पदाधिकारी के रूप में समझा जायेगा।

परन्तु यह कि अनुपस्थित हो जाने की बाध्यता की स्थिति में पीठासीन पदाधिकारी अविलम्ब निर्वाची पदाधिकारी को ऐसी अनुपस्थिति के संबंध में सूचित करेगा।

54. निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति और उसकी नियुक्ति का प्रतिसंहरण या उसकी मृत्यु।—(1) अगर कोई अभ्यर्थी अपना निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त करना चाहता है तो वैसी नियुक्ति उपनियम (2) एवं (3) के प्रावधानों के अधीन, मतदान के पहले कभी भी, प्रपत्र-15 में कर सकता है।

(2) अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण कभी भी विधिमान्य रूप से हस्ताक्षरित घोषणा कर किया जा सकता है एवं ऐसे प्रतिसंहरण या निर्वाचन के पहले निर्वाचन अभिकर्ता की मृत्यु की स्थिति में अभ्यर्थी नया निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है।

(3) ऐसा व्यक्ति जो अधिनियम के अधीन तत्समय किसी नगरपालिका के निर्वाचन में अपना मत देने अथवा निर्वाचित होने के अयोग्य है, ऐसी अयोग्यता बने रहने तक निर्वाचन अभिकर्ता के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

55. मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति।—(1) किसी निर्वाचन के समय जहाँ मतदान होना है, निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए अधिकतम दो व्यक्तियों को उस अभ्यर्थी के मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त कर सकता है एवं यह नियुक्ति दो प्रतियों में प्रपत्र-16 में की जाएगी।

(2) अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्ति पत्र की दूसरी प्रति मतदान अभिकर्ता को देगा जिसे वह मतदान के लिए नियत तिथि को पीठासीन पदाधिकारी को पेश करेगा तथा नियुक्ति पत्र में अंतर्विष्ट घोषणा पर उसके समक्ष हस्ताक्षर करेगा। पीठासीन पदाधिकारी उस दूसरी प्रति को अपनी अभिरक्षा में रखेगा।

(3) मतदान के समय मतदान केन्द्र पर एक समय में एक ही अभिकर्ता मौजूद रहेगा।

56. मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण या उसकी मृत्यु।–(1) किसी निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा विधिमान्य रूप से हस्ताक्षरित लिखित घोषणा से मतदान शुरु होने के पहले किसी भी समय प्रतिसंहरित की जा सकती है।

(2) वैसी घोषणा पीठासीन पदाधिकारी को समर्पित की जाएगी।

(3) जहाँ किसी मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति को उपनियम (1) के अधीन प्रतिसंहरित कर दिया गया है अथवा मतदान शुरू होने के पहले मतदान अभिकर्ता की मृत्यु हो जाती है, वहाँ अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता मतदान की समाप्ति के पूर्व कभी भी नियम 55 के उपनियम(1) के अधीन नए मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति कर सकता है।

57. गणन अभिकर्ता की नियुक्ति।–(1) निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता उस अभ्यर्थी के गणन अभिकर्ता के रूप में कार्य करने हेतु किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है एवं यह नियुक्ति दो प्रतियों में प्रपत्र-17 में की जाएगी।

(2) अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्ति पत्र की दो प्रतियाँ गणन अभिकर्त्ता को देगा, जिसमें से वह एक अपने पास रखेगा तथा दूसरी प्रति मतगणना के लिए नियत तिथि को निर्वाची पदाधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत पदाधिकारी को पेश करेगा तथा नियुक्ति पत्र में अंतर्विष्ट घोषणा पर उसके समक्ष हस्ताक्षर करेगा, एवं वह अधिकारी उस दूसरी प्रति को अपनी अभिरक्षा में रखेगा।

58. गणन अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण या उसकी मृत्यु।–(1) किसी गणन अभिकर्ता की नियुक्ति अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा विधिमान्य रूप से हस्ताक्षरित लिखित घोषणा से मतगणना शुरु होने के पहले किसी भी समय प्रतिसंहरित की जा सकती है एवं ऐसी घोषणा निर्वाची पदाधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत पदाधिकारी को समर्पित की जाएगी।

(2) अगर मतगणना पूर्ण होने के पहले गणन अभिकर्ता की मृत्यु हो जाती है, वहाँ अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता नियम 57 के उपनियम(1) के अधीन नए गणन अभिकर्ता की नियुक्ति कर सकता है।

59. मतदान केन्द्र पर सूचना।–प्रत्येक मतदान केन्द्र के बाहर निम्नलिखित सूचना प्रदर्शित की जाएगी:-

(क) मतदान केन्द्र का नाम एवं संख्या;

(ख) उस मतदान केन्द्र से संबंधित वार्ड की मतदाता सूची ;

(ग) प्रत्येक अभ्यर्थी का देवनागरी लिपि में नाम एवं उसे आवंटित निर्वाचन प्रतीक जिसका क्रम नियम 50 में अंकित क्रम के अनुसार होगा।

60. मतदान की रीति।–(1) मतों को मतपत्र द्वारा प्रदान किया जाएगा और किसी भी मत को प्रॉक्सी द्वारा प्राप्त नहीं किया जाएगा।

(2) अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाई गई इस नियमावली में कुछ भी समाविष्ट होने के बावजूद, उस तरीके में, जिसे निर्धारित किया जाए, मतदान करने की मशीनों द्वारा मतों को देने और रिकॉर्डिंग करने को उस निर्वाचन क्षेत्र या सभी निर्वाचन क्षेत्रों में अपनाया जा सकेगा, जिसे राज्य निर्वाचन आयोग प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करे।

स्पष्टीकरण :–मतदान करने की मशीन से अभिप्रेत है मतों को देने या रिकॉर्ड करने के लिए प्रयुक्त कोई मशीन या उपकरण, जो इलेक्ट्रोनिक तरीके से या अन्यथा संचालित की जाए। अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत बनाई गई नियमावली में प्रयुक्त मतपेटी या मतपत्र से, अन्यथा उपबंधित नहीं रहने पर , मतदान करने की मशीन का भी संदर्भ समझा जाएगा, जहाँ भी उस मतदान करने की मशीन को किसी निर्वाचन में प्रयुक्त किया जाता है।

61. मतदान केन्द्र पर पीठासीन पदाधिकारी के कर्तव्य एवं अधिकार।–(1) पीठासीन पदाधिकारी मतदान केन्द्र पर व्यवस्था कायम रखेगा, सुनिश्चित करेगा कि निर्वाचन का संचालन सम्यक रूप से हो एक समय में प्रवेश करने वाली मतदाताओं की संख्या को विनियमित करेगा तथा निम्नलिखित के अलावा सभी

अन्य व्यक्तियों को बाहर करेगा:-

(क) मतदान अधिकारी

(ख) प्रत्येक अभ्यर्थी, उसका निर्वाचन अभिकर्ता तथा लिखित रूप में अभ्यर्थी द्वारा नियुक्त तथा निर्वाची पदाधिकारी द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत प्रत्येक अभ्यर्थी का एक मतदान अभिकर्ता।

(ग) कर्तव्य पर आरूढ़ आरक्षी अथवा अन्य राजकीय सेवक।

(घ) दृष्टिहीन अथवा निःशक्त व्यक्तियों , जो बिना सहायता के नहीं चल सकते, के साथी।

(ङ) वैसे अन्य व्यक्ति जिन्हें पीठासीन पदाधिकारी समय-समय पर मतदाताओं की पहचान करने अथवा मतदान में अन्य रूप से उसकी सहायता करने के उद्देश्य से प्रवेश करने की अनुमति दे।

(2) अगर कोई व्यक्ति मतदान केन्द्र पर गलत आचरण करता है अथवा पीठासीन पदाधिकारी के विधिमान्य आदेश का पालन करने में असफल रहता है, तो उसे पीठासीन पदाधिकारी के आदेश से पुलिस पदाधिकारी या पीठासीन पदाधिकारी द्वारा लिखित रूप में अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति द्वारा तुरंत हटा दिया जाएगा, एवं वैसा हटाया गया व्यक्ति उस दिन पीठासीन पदाधिकारी की अनुमति के बिना मतदान केन्द्र में पुनः प्रवेश नहीं कर सकेगा;

परन्तु यह कि इस शक्ति का प्रयोग किसी निर्वाचक को किसी मतदान केन्द्र पर मतदान करने के उसके हक से वंचित करने के उद्देश्य से नहीं किया जाएगा।

(3) अगर कोई व्यक्ति जिसे उपनियम (2) के प्रावधानों के अधीन मतदान केन्द्र से हटा दिया गया है, बिना पीठासीन पदाधिकारी की अनुमति के मतदान केन्द्र में पुनः प्रवेश करता है, तो वह तीन माह तक के कारावास की सजा या सौ रूपए तक का जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

62. मतदान प्रारंभ होने के पूर्व मतपेटिकाओं को बन्द करना तथा उनपर सील लगाना।–(1) पीठासीन पदाधिकारी मतदान प्रारंभ होने के ठीक पहले अभ्यर्थियों को, उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को तथा उनके मतदान अभिकर्ताओं को, जो मतदान केंद्र पर उपस्थित हों, मतदान के काम में लाई जाने वाली मतपेटी को निरीक्षण करने देगा और दिखाएगा कि वह खाली है।

(2) तत्पश्चात् प्रयुक्त हो रही मतपेटी पर भीतर और बाहर निम्नांकित लेबुल लगाया जाएगा :-

(क) नगरपालिका का नाम

(ख) मतदान केंद्र का नाम एवं संख्या

(ग) मतपेटी का क्रमांक (जो मतदान समाप्ति पर बाहरी लेबुल पर ही अंकित रहेगा) और

(घ) मतदान की तिथि

(3) तत्पश्चात् पीठासीन पदाधिकारी मतपेटी पर अपना हस्ताक्षरित पेपरसील, जिसपर उपस्थित अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता यदि वे चाहें, भी हस्ताक्षर कर सकेंगे, लगाएगा तथा मतपेटी को मतदान कराने की अवस्था में लाएगा।

63. मतदाताओं की पहचान।–(1) पीठासीन पदाधिकारी आयोग द्वारा यथानिर्देशित अभिलेखों/ कागजातों/प्रमाण पत्रों के आधार पर किसी मतदाता की पहचान विनिश्चित करायेगा।

(2) पीठासीन पदाधिकारी ऐसे व्यक्ति को जिसे वह ठीक समझे, मतदान केन्द्र में मतदाताओं की पहचान करने में मदद करने या मतदान में अपनी सहायता करने के लिए नियोजित कर सकेगा।

(3) मतदाता के मतदान केन्द्र में प्रवेश करने पर पीठासीन पदाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत मतदान पदाधिकारी मतदाता का नाम और अन्य विशिष्टियों को मतदाता सूची की सुसंगत प्रविष्टि से मिलायेगा और मतदाता का अनुक्रमांक, नाम और अन्य विशिष्टियां पढकर सुनायेगा।

(4) मतदाता को मतपत्र प्राप्त करने के अधिकार का विनिश्चय करने में पीठासीन पदाधिकारी या प्राधिकृत पदाधिकारी मतदाता सूची की सुसंगत प्रविष्टि में किसी मुद्रण भूल की अनदेखी करेगा यदि उसका समाधान हो जाये कि प्रविष्टि उस मतदाता से ही संबंधित है।

64. इलेक्ट्रोनिक फोटो पहचान पत्र पहचान का प्रमुख आधार होगा।--भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत इलेक्ट्रोनिक फोटो पहचान पत्र नगरपालिका चुनाव में भी किसी मतदाता की पहचान का प्रमुख आधार होगा। उन मतदाताओं को, जिन्हें इलेक्ट्रोनिक फोटो पहचान पत्र उपलब्ध कराया गया है, अगर वे बिना पर्याप्त औचित्य के, इसे पीठासीन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने में असफल रहते हैं, तो उन्हें पीठासीन पदाधिकारी द्वारा मतदान करने से वंचित किया जा सकता है। उन मतदाताओं की पहचान, जिन्हें इलेक्ट्रोनिक फोटो पहचान पत्र नहीं दिया गया है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य साधनों से विनिश्चित की जाएगी।

65. मतदान केन्द्र में प्रवेश और उसे बन्द करना।--(1) नियम 52 के अधीन निर्धारित समय पर पीठासीन पदाधिकारी मतदान केन्द्र को बन्द कर देगा तथा उस समय के बाद किसी मतदाता को प्रवेश की अनुमति नहीं देगा;

परन्तु इस प्रकार बन्द किए जाने के पहले मतदान केन्द्र में उपस्थित सभी मतदाताओं को अपना मत देने का हक प्राप्त होगा।

(2) अगर यह प्रश्न उठे कि उप नियम (1) के उद्देश्य के लिए कोई मतदाता मतदान केन्द्र के बन्द किये जाने के पहले मतदान केन्द्र में उपस्थित माना जाऐगा अथवा नहीं, तब यह मामला उस मतदान केन्द्र के पीठासीन पदाधिकारी के निर्णय हेतु लाया जाएगा एवं उसका निर्णय अंतिम होगा।

66. मतदान केन्द्रों में मतदान प्रकोष्ठ।--प्रत्येक मतदान केन्द्र में इतनी संख्या में मतदान प्रकोष्ठ बनाये जाऐंगे जो निर्वाची पदाधिकारी आवश्यक समझे ताकि मतदाता गुप्त रूप से अपना मत दे सकें।

67. मतदान केन्द्र पर मतपेटिका/इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन एवं अन्य सामग्रियों को उपलब्ध किया जाना।--(1) निर्वाची पदाधिकारी, प्रत्येक मतदान केन्द्र पर, पर्याप्त संख्या में मतपेटियों/ इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन की व्यवस्था करेगा, जिसका परिकल्प इस तरह का होगा जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाए।

(2) निर्वाची पदाधिकारी प्रत्येक मतदान केन्द्र पर पर्याप्त संख्या में मतपत्र, मतपत्रों पर प्रभेदक चिह्न की मोहर लगाने हेतु उपकरण, यथावश्यक संख्या में मतपेटियाँ एवं मतदाता सूची अथवा उसके अंश जिसमें उस मतदान केन्द्र पर मत डालने के हकदार मतदाताओं के नाम सम्मिलित हों, की प्रतियाँ तथा वैसे अन्य सामान/उप साधन जिनकी उस मतदान केन्द्र पर मतदान कराने हेतु आवश्यकता हो, उपलब्ध करायेगा।

(3) मतदान केन्द्र के बाहर प्रमुखता से

(क) मतदान क्षेत्र तथा मतदान केन्द्र पर मतदान करने के हकदार मतदाताओं एवं अगर मतदान क्षेत्र में एक से अधिक मतदान केन्द्र हों, तो वहाँ वैसा हक रखने वाले मतदाताओं के विवरण, तथा

(ख) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची, प्रदर्शित की जायेगी।

68. मतपत्र।--(i) मतपत्र ऐसे प्रपत्र में होगा जो राज्य निर्वाचन आयोग निदेशित करे तथा इसकी प्रविष्टियाँ हिन्दी देवनागरी लिपि में होंगी।

(ii) मतपत्र में अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में अंकित होंगे जिस क्रम में अभ्यर्थिता वापसी के पश्चात वे विधिमान्य अभ्यर्थियों की सूची में अंकित हैं।

(iii) अगर दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के नाम एक समान हों, तो उनके बीच अन्तर पेशा या पता जोड़ कर, या कोई अन्य तरीके से किया जायेगा।

(iv) निर्गत किये जाने के पूर्व प्रत्येक मतपत्र पर ऐसे प्रभेदक चिह्न से मुहर लगाया जायेगा जो राज्य निर्वाचन आयोग निदेशित करे।

69. मतदान के पहले की प्रक्रिया।--(1) किसी मतदाता को कोई मतपत्र दिये जाने के पूर्व पीठासीन पदाधिकारी या मतदान पदाधिकारी, अगर उसे मतदाता की पहचान अथवा उसके मत देने के हक के प्रति कोई संदेह हो, स्वयं अपनी तरफ से तथा अभ्यर्थी के द्वारा चाहे जाने पर निश्चित रूप से, उस मतदाता से निम्नलिखित प्रश्न करेगा --

(i) क्या आप निम्नलिखित अंकित व्यक्ति हैं? (मतदाता सूची से पूरी प्रविष्टि पढ़कर सुनायेगा);

(ii) क्या आप इस वार्ड के अन्तर्गत इस निर्वाचन में पहले ही मतदान कर चुके हैं?

(iii) क्या आप नगरपालिका के वर्तमान आम चुनाव में किसी अन्य वार्ड में पहले ही मतदान कर चुके हैं?

अगर मतदाता किसी प्रश्न का उत्तर देने से इनकार करता है अथवा पहले प्रश्न का उत्तर 'हाँ' में और दूसरे एवं तीसरे प्रश्न का उत्तर 'न' में नहीं देता है, तो उसे कोई मतपत्र नहीं दिया जायेगा।

(2) किसी मतदान केन्द्र पर मतदान करने के उद्देश्य से जो मतदाता मतपत्र या मतपत्रों की मांग करता है, वह ऐसा मतपत्र प्राप्त करने के पहले

(क) पीठासीन पदाधिकारी/मतदान पदाधिकारी को अपनी बांयी तर्जनी का निरीक्षण करने देगा, और

(ख) अपनी बाँयी तर्जनी पर अमिट स्याही का चिह्न लगाने देगा।

(3) उस प्रत्येक मतदाता को निर्वाचन में अपना मत रिकॉर्ड करने या मतपत्र प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं होगा, जिसने

(क) अपनी बांयी तर्जनी का निरीक्षण करने से मना किया हो; अथवा

(ख) अपनी बाँयी तर्जनी पर अमिट स्याही लगाने से मना किया हो; अथवा

(ग) उस चिह्न को लगाये जाने के पश्चात उसे मिटाने की लगातार चेष्टा कर रहा हो।

(4) मतदान केन्द्र में प्रवेश करने के समय जिस व्यक्ति की बाँयी तर्जनी में पहले से कोई ऐसा चिह्न लगा हुआ हो उसे कोई मतपत्र नहीं दिया जायेगा।

(5) इस नियमावली अथवा उप नियम (2) के अधीन किसी मतदाता की बांयी तर्जनी से जहाँ मतदाता को बांयी तर्जनी नहीं हो, बांये हाथ की किसी भी अन्य अंगुली का संदर्भ लिया जायेगा एवं जहाँ बांये हाथ की सभी अंगुलियाँ नदारद हों, वहाँ बायें या दायें बांह के उस अन्तिम हिस्से से लिया जायेगा, जो मतदाता कहे।

(6) (i) मतदान केन्द्र में प्रवेश करते ही मतदाता सर्वप्रथम मतदान पदाधिकारी को अपनी बांयी तर्जनी का निरीक्षण करने देगा ताकि यह निश्चित किया जा सके कि उस अंगुली में पहले से अमिट स्याही का चिह्न है अथवा नहीं। अगर ऐसा कोई चिह्न नहीं है, तब मतदाता सूची का प्रभारी मतदान पदाधिकारी मतदाता का नाम और पता एवं अन्य ऐसे विवरण जो मतदाता सूची में है, के बारे में सुनिश्चित होगा तथा मतदाता सूची से इनकी जाँच कर लेने के पश्चात मतदाता सूची के अनुरूप मतदाता की क्रम संख्या, नाम एवं विवरण पुकार कर पढ़ेगा। पीठासीन पदाधिकारी या मतपत्रों का प्रभारी मतदान पदाधिकारी मतदाता की बाँयी तर्जनी में अमिट स्याही का चिह्न लगायेगा, और तब मतदाता को प्रभेदक चिह्न की मुहर लगे एक मतपत्र या आवश्यक संख्या में मतपत्रों को देगा। पीठासीन पदाधिरकारी या मतदान पदाधिकारी द्वारा मतदाता सूची में अंकित मतदाता की क्रम संख्या मतपत्र के प्रतिपर्ण पर अंकित की जायेगी। मतदाता सूची में मतदाता के नाम के आगे भी एक चिह्न यह दिखलाने के लिये लगा दिया जायेगा कि मतदाता मतपत्र प्राप्त कर चुका है, किन्तु प्राप्त मतपत्र के संबंध में कोई विवरण नहीं दिया जायेगा।

(ii) किसी निर्वाचन में मतदान करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति के मतपत्र प्राप्त करने की हकदारी के संबंध में निर्णय लेने में पीठासीन पदाधिकारी मतदाता सूची की किसी प्रविष्टि में मात्र लिपिकीय या मुद्रण भूलों को नजरअंदाज कर सकता है, लेकिन वह ऐसा करने के कारणों एवं विवेचना को ऐसे व्यक्ति को निर्गत मतपत्र के प्रतिपर्ण पर निश्चित रूप से अंकित करेगा।

70. मतदान।–(1) मतदाता मतपत्र प्राप्त करने के पश्चात्

(क) किसी एक मतदान प्रकोष्ठ में जाएगा;

(ख) मतपत्र पर इस उद्देश्य से आपूरित उपकरण द्वारा , अपनी पसंद के उम्मीदवार के प्रतीक चिह्न पर या उसके निकट निशान लगायेगा;

(ग) मतपत्र को मोड़ेगा ताकि उसका मत किसी को पता न चले;

(घ) मोड़े हुए मतपत्र को मतपेटी में डालेगा; और

(ङ) मतदान केन्द्र से बाहर चला जाएगा।

(2) प्रत्येक मतदाता बिना अनुचित विलम्ब के मतदान करेगा।

(3)जबतक कोई मतदाता अपना मतदान करने के प्रयोजन से मतदान प्रकोष्ठ के अन्दर है, तबतक किसी दूसरे मतदाता को उस मतदान प्रकोष्ठ में प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी जायेगी।

71. दृष्टिहीन या निःशक्त मतदाताओं द्वारा मतदान।–(1) अगर पीठासीन पदाधिकारी संतुष्ट हो कि दृष्टिहीनता अथवा अन्य शारीरिक निःशक्तता के कारण कोई मतदाता मतपत्र में अंकित प्रतीक चिह्न को पहचानने अथवा बिना किसी सहायता के उस पर निशान लगाने में असमर्थ है, तो पीठासीन पदाधिकारी उस मतदाता को अपने साथ मतदान प्रकोष्ट तक 18 वर्ष की आयु से अन्यून एक सहयोगी को, जो उसकी तरफ से उसकी इच्छानुसार मतपत्र पर मत अंकित करेगा, ले जा सकने एवं उसे मोड़ कर, ताकि मत छिपा रहे, मतपेटी में डालने की अनुमति देगा।

परन्तु यह कि किसी व्यक्ति को उसी दिन किसी मतदान केन्द्र पर एक से अधिक मतदाता के सहयोगी के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

परन्तु यह भी कि इस नियमावली के अधीन अगर निर्वाचन के दिन किसी व्यक्ति को सहयोगी बनने की अनुमति दी गई तो उस व्यक्ति को प्रपत्र-18 (क) में यह घोषणा करनी होगी कि वह उसके द्वारा दिये गये मतदाता के मत को गुप्त रखेगा तथा उसने उस दिन किसी अन्य मतदान केन्द्र पर किसी दूसरे मतदाता के सहयोगी के रूप में कार्य नहीं किया है।

(2)पीठासीन पदाधिकारी इस नियमावली के अधीन ऐसे सभी मामलों का प्रपत्र-18 (ख) में अभिलेख रखेगा।

72. निविदत्त मत।–(1) अगर कोई व्यक्ति दावा करे कि वह मतदाता सूची में नामित मतदाता है किन्तु ऐसे मतदाता के रूप में किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा पहले ही मत दे दिया गया है तब पीठासीन पदाधिकारी का ऐसा समाधान हो जाने पर वह व्यक्ति मतपत्र प्राप्त करने का अधिकारी होगा और उसे दिया गया ऐसा मतपत्र निविदत्त मतपत्र के रूप में निर्दिष्ट किया जायेगा।

(2) निविदत्त मतपत्र मतपेटी में नहीं डाला जायेगा बल्कि इसपर संबंधित मतदाता द्वारा अपना मत चिह्नित कर इसे पीठासीन पदाधिकारी को सौंप दिया जायेगा जो इसे अलग पैकेट में रखेगा। मतदान की समाप्ति पर ऐसे समस्त निविदत्त मतपत्रों की यह पैकेट सीलबन्द कर दी जायेगी।

(3) निविदत्त मतों की सूची प्रपत्र-19 में तैयार की जायेगी तथा मतपत्र निविदत्त करने वाला मतदाता उस सूची में अपने निविदत्त मतपत्र के संबंध में की गई प्रविष्टि के सामने अपना हस्ताक्षर करेगा या अपने अंगूठे का निशान लगायेगा।

73. आक्षेपित मत।–(1) अगर कोई अभ्यर्थी निर्वाचन अभिकर्ता घोषणा करता है तथा इसे सावित करने की अन्डरटेकिंग देता है कि कोई व्यक्ति जिसने मतपत्र मांगा है तथा मतदाता विशेष होने का दावा किया है, प्रतिरूपण का अपराध किया है तब पीठासीन पदाधिकारी वैसे व्यक्ति का नाम एवं पता आपेक्षित मतों की सूची में डाल देगा, जो प्रपत्र-20 में होगी, और यदि वह लिख नहीं सकता है तो वहाँ उसके अंगूठे का निशान ले लेगा एवं उस व्यक्ति को अपनी पहचान के संबंध में अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने को कह सकेगा।

परन्तु यह कि इस उप नियम के तहत पीठासीन पदाधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी अगर अभ्यर्थी अथवा वैसे अभिकर्ता द्वारा प्रत्येक अभ्याक्षेप के लिये पाँच रूपये की नकद राशि पीठासीन पदाधिकारी के यहाँ जमा न कर दी गई हो।

(2)अगर इस प्रकार अभ्याक्षेपित व्यक्ति ऐसे आदेश का अनुपालन करने से इनकार करता है, तब उसे मत देने का हक नहीं होगा, लेकिन अगर वह व्यक्ति आदेश का अनुपालन कर देता है, तथा नियम-69 में बताये गये तरीके से पूछे गये प्रश्नों में प्रथम प्रश्न का उत्तर हाँ में एवं अन्य प्रश्नों का उत्तर न में देता है, तो उसे प्रतिरूपण के दण्ड के संबंध में चेतावनी देते हुए मतदान करने की अनुमति दी जायेगी।

(3) अगर पीठासीन पदाधिकारी, मौके पर उसके विचार में यथावश्यक जाँच करने के पश्चात इस राय का हो कि अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उप नियम (1) के अधीन लगाया गया अभ्याक्षेप तुच्छ है तथा नेक, नियत से नहीं लगाया गया है, तब वह उप नियम (1) के अधीन जमा की गई राशि को जप्त कर नगरपालिका के खाते

में जमा करने का निदेश देगा तथा इस संबंध में उसका आदेश अन्तिम होगा।

(4) अगर उप नियम (1) के अधीन जमा निक्षेप उप नियम (3) अधीन जप्त नहीं किया जाता है, तब वह राशि मतदान के समय की समाप्ति के पश्चात उस व्यक्ति को लौटा दी जायेगी, जिसके द्वारा यह जमा की गई थी।

(5) पीठासीन पदाधिकारी प्रत्येक मामले में, चाहे अभ्याक्षेपित व्यक्ति को मतदान करने की अनुमति दी जाये अथवा नहीं, अभ्याक्षेपित मतों की सूची में परिस्थितियों के संबंध में एक टिप्पणी अवश्य अंकित करेगा।

74. खराब हुए और लौटाये गये मतपत्र तथा मतपेटियों के बाहर पाये गये मतपत्र।–(1) उस मतदाता को, जिसकी भूल के चलते मतपत्र इस प्रकार खराब हो गया हो कि वह उपयोग के लायक नहीं रह गया हो, पीठासीन पदाधिकारी को उसे लौटा दिये जाने पर तथा अपनी भूल के संबंध में उसे सन्तुष्ट कर देने पर दूसरा मतपत्र दिया जायेगा और इस प्रकार लौटाये गये मतपत्र के पीठ पर पीठासीन पदाधिकारी 'खराब, रद्द किया गया' अंकित करेगा।

(2) यदि मतदाता कोई मतपत्र अभिप्राप्त करने के पश्चात उसे उपयोग में नहीं लाने का विनिश्चय करता है, तब वह उसे पीठासीन पदाधिकारी को लौटा देगा और उस लौटाये गये मतपत्र पर पीठासीन पदाधिकारी 'लौटाया गया, रद्द किया गया' अंकित करेगा।

(3) उप नियम (1) या उप नियम (2) के अधीन रद्द किये गये सभी मतपत्र पृथक पैकेट में रखे जायेंगे।

(4) यदि कोई मतदाता दिये गये मतपत्र को मतपेटी में नहीं डाले और मतपत्र मतदान केन्द्र या निकट किसी स्थान पर पाया जाये, तो मतपत्र उप-नियम (2) के अधीन पीठासीन पदाधिकारी को लौटा दिया गया समझा जायेगा और उसके संबंध में उप-नियम (2) में अंकित कार्रवाई की जायेगी।

75. पीठासीन पदाधिकारी तथा मतदान पदाधिकारी एवं निर्वाचन अभिकर्त्ताओं द्वारा मतदान का अभिलेखन किया जाना।–अगर कोई पीठासीन पदाधिकारी, मतदान पदाधिकारी, निर्वाचन अभिकर्त्ता या मतदान अभिकर्त्ता जो वार्ड का मतदाता होने के कारण विधिमान्य रूप से मत देने हेतु अधिकृत है या, ऐसे मतदान केन्द्र पर कर्त्तव्य में प्रतिनियुक्त हो, जहाँ उसे मत देने का हक नहीं है, निर्वाची पदाधिकारी को प्रपत्र-21 में एक प्रमाण-पत्र के लिये आवेदन देगा जो उसे उस मतदान केन्द्र पर मतदान करने का हक दे सके। ऐसा आवेदन निर्वाची पदाधिकारी को कम से कम चार दिन पूर्व या ऐसी छोटी अवधि के बीच पहुँच जाना चाहिये जो निर्वाची पदाधिकारी मतदान तिथि के पूर्व स्वीकृत करे। निर्वाची पदाधिकारी का समाधान हो जाने के पश्चात कि आवेदक नगरपालिका का कोई लोक सेवक है अथवा वार्ड में निर्वाचन अभिकर्त्ता या मतदान अभिकर्त्ता है, वह

(क) प्रपत्र-22 में आवेदक को निर्वाचन कर्त्तव्य प्रमाण-पत्र निर्गत करेगा;

(ख) मतदाता सूची की चिह्नित प्रति में मतदाता के नाम के सामने 'निर्वाचन कर्त्तव्य प्रमाण-पत्र' यह दिखलाने के लिये अंकित करेगा कि उसे यह प्रमाण-पत्र निर्गत कर दिया गया है; और

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि वह उस मतदान केन्द्र पर मतदान नहीं कर पाये, जहाँ वह सामान्यत: मतदान करने का हकदार होता।

76. नियम 75 के अधीन प्रमाण–पत्र स्वीकृत किये गये व्यक्तियों को मतपत्र निर्गत किया जाना।–(1) वैसे व्यक्ति को जिसे नियम 75 के अधीन प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया है, उसी तरीके से मतपत्र दिया जायेगा जैसे अन्य मतदाता को दिया जाता है। इस नियमावली के प्रावधान उस व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे जो मतदान केन्द्र पर इस उद्देश्य हेतु विहित प्रपत्र में निर्वाचन कर्त्तव्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है एवं मतपत्र निर्गत करने की माँग करता है यद्यपि मतदान केन्द्र उस मतदान केन्द्र से भिन्न है जहाँ वह मतदान करने का हकदार है।

(2) वैसे प्रमाण-पत्र के उपस्थापन किये जाने के पश्चात् पीठासीन पदाधिकारी

(क) उसपर प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर लेगा;

(ख) मतदाता सूची की चिह्नित प्रति के अन्त में प्रमाण-पत्र में यथाअंकित व्यक्ति का नाम एवं मतदाता सूची क्रमांक अंकित करेगा; और

(ग) उसे एक मतपत्र देगा तथा उसे उसी प्रकार से मतदान करने की अनुमति देगा जैसा कि उस मतदान केन्द्र पर मतदान करने हेतु हकदार अन्य मतदाता के लिये किया गया है।

77. मतदान के पश्चात् मतपेटियों का सीलबन्द किया जाना।–(1) मतदान के बन्द होने के पश्चात् पीठासीन पदाधिकारी उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्त्ताओं के समक्ष मतपेटी की छेद को बन्द कर देगा और मतपेटी को सीलबन्द करेगा। साथ ही, उस पर किसी भी उपस्थित अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता को, यदि वह चाहे, अपनी सील लगाने देगा।

(2) यदि एक मतपेटी के भर जाने के कारण दूसरी मतपेटी का उपयोग में लाना आवश्यक हो जाये तब पहली मतपेटी को उप नियम (1) में इंगित रीति से तत्काल सीलबन्द कर दिया जायेगा।

(3) अन्य पैकेटों की सीलबन्द किया जाना–(1) पीठासीन पदाधिकारी –

(क) . मतदाता सूची की चिह्नित प्रतियाँ;

(ख) उपयोग में नहीं लाये गये मतपत्र;

(ग) रद्द किये गये मतपत्र;

(घ) निविदत्त मतपत्रों का लिफाफा और सूची;

(ङ) अभ्याक्षेपित मतों की सूची; और

(च) अन्य ऐसे कागजात जिनके संबंध में निर्वाची पदाधिकारी ने यह निदेश दिया हो कि वे सीलबन्द पैकेट में रखे जायें के पृथक-पृथक पैकेट तैयार करेगा और उन्हें सीलबन्द करेगा।

(2) पीठासीन पदाधिकारी ऐसी प्रत्येक पैकेट पर वहाँ उपस्थित अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता को, यदि वह चाहे, अपनी सील लगाने देगा।

(4) संबंधित मतपेटियों, पैकेटों आदि का निर्वाची पदाधिकारी को प्रेषण–(1) पीठासीन पदाधिकारी निर्वाची पदाधिकारी को –

(क) मतपेटियाँ;

(ख) मतपत्र-लेखा एवं पेपर सील लेखा;

(ग) उप नियम (3) में निर्दिष्ट सीलबन्द पैकेट; और

(घ) मतदान में उपयोग में लाये गये सभी अन्य कागजात, निर्दिष्ट किये गये स्थान में जमा करेगा।

(2) निर्वाची पदाधिकारी पदाधिकारी या प्राधिकृत पदाधिकारी उप-नियम (1) में अंकित वस्तुओं की, मतों की गणना प्रारंभ होने तथा मतगणना की समाप्ति तक अभिरक्षा की व्यवस्था करेगा।

78. मतपत्र एवं पेपर सील का लेखा।–मतदान बन्द होने पर पीठासीन पदाधिकारी प्रपत्र-23 (क) में मतपत्र लेखा एवं प्रपत्र 23 (ख) में पेपर सील लेखा तैयार करेगा और उन्हें पृथक लिफाफों में रखेगा और उनके ऊपर "मतपत्र लेखा"/"पेपरसील लेखा" लिखेगा।

79. मतों की गणना की सूचना।–राज्य निर्वाचन आयोग के निदेश के अधीन निर्वाची पदाधिकारी मतदान समाप्ति के बाद यथाशक्य शीघ्र मतों की गणना हेतु तिथि, समय एवं स्थान निर्धारित करेगा तथा उससे संबंधित सूचना लिखित रूप में सभी अभ्यर्थियों को देगा।

80. मतगणना के समय जो व्यक्ति उपस्थित रह सकते।–(1) मतों की गणना के समय निर्वाची पदाधिकारी, मतों की गणना में अपनी सहायता के लिये वैसे व्यक्ति जिन्हें वह नियुक्त करे, प्रत्येक अभ्यर्थी एवं अभ्यर्थी द्वारा लिखित रूप में अधिकृत एक प्रतिनिधि को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति को मौजूद रहने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(2) वैसे किसी व्यक्ति को मतगणना में सहायता हेतु नियुक्त नहीं किया जायेगा जो अभ्यर्थी द्वारा अथवा उसकी तरफ से निर्वाचन से संबंधित किसी भी उद्देश्य के लिए नियोजित किया गया है।

81. मतों की गणना के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रिया।–नियम 79 के अधीन नियत तिथि, समय एवं स्थान पर, निर्वाची पदाधिकारी, मतगणना शुरु करने के पहले ऐसे व्यक्तियों को बुलायेगा जिनकी आवश्यकता मतगणना की पवित्रता को बनाये रखने हेतु आवश्यक हो। इसके पश्चात वह निम्न कार्रवाई करेगा :-

(क) मतों की गणना हेतु रखी गई सभी मतपेटियों की गिनती कर ली जायेगी तथा जाँच कर ली जायेगी,

तथा निर्वाची पदाधिकारी स्वयं सन्तुष्ट हो लेगा कि वैसी सभी मतपेटियाँ, जिनमें उस स्थान पर गणना किये जाने वाले मतपत्र है, प्राप्त हो गई हैं तथा उनका लेखा-जोखा कर लिया गया है।

(ख) निर्वाची पदाधिकारी इसके पश्चात मतगणना के समय मौजूद अभ्यर्थियों अथवा उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को मतपेटियों का निरीक्षण करने का अवसर देगा ताकि वे संतुष्ट हो जायें कि मतपेटियाँ दुरुस्त हैं।

(ग) निर्वाची पदाधिकारी तब स्वयं संतुष्ट हो लेगा कि किसी भी मतपेटी के साथ छेड़-छाड़ नहीं की गई है। अगर निर्वाची पदाधिकारी द्वारा पाया जाता है कि किसी मतपेटी के साथ छेड़-छाड़ की गई है अथवा उसे नष्ट किया गया है अथवा उसे खो दिया गया है तब निर्वाची पदाधिकारी मतों की गणना रोक देगा एवं राज्य निर्वाचन आयोग का अनुमोदन प्राप्त कर उस वार्ड में नये सिरे से मतदान कराने हेतु तिथि नियत करेगा। नये सिरे से चुनाव सम्पन्न हो जाने के पश्चात, तब वह अपने द्वारा नियत तिथि, समय एवं स्थान पर मतगमना पुनः शुरु करायेगा, जिसकी सूचना अभ्यर्थियों एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को पूर्व में ही दे दी जायेगी।

(घ) निर्वाची पदाधिकारी यह सन्तुष्ट हो लेने के पश्चात कि उस स्थान पर गिनती किये जाने वाले मतपत्रों से संबंधित वैसी सभी मतपेटियाँ प्राप्त हो गई हैं एवं दुरुस्त हैं, वह मतदान केन्द्र पर प्रयुक्त मतपेटियों में रखे गये मतपत्रों की गिनती उनके क्रम के अनुसार आरम्भ करेगा।

(ङ) जैसे ही प्रत्येक मतपेटी गणना के लिये खोली जाती है, मतपेटी पर या इसके किसी भाग या संलग्नक पर बनाये गये किसी निशान या निशानों की जाँच कर ली जायेगी। इसके पश्चात मतपेटी से मतपत्रों को बाहर निकाला जायेगा एवं सुविधाजनक बन्डलों में व्यवस्थित कर रखा जायेगा तथा मतगणना में सहयोग देने हेतु नियुक्त कर्मियों की सहायता से उनकी गणना की जायेगी। प्रत्येक मतपेटी में पाये गये मतपत्रों का लेखा प्रपत्र-24 (क) में अंकित किया जायेगा।

(च) निर्वाची पदाधिकारी उपस्थित अभ्यर्थियों एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं एवं गणना अभिकर्ताओं को उन सभी मतपत्रों का निरीक्षण करने का युक्तियुक्त अवसर देगा जो निर्वाची पदाधिकारी की राय में प्रतिक्षेपित किये जाने योग्य हैं किन्तु उस अथवा अन्य मतपत्रों को हाथ लगाने की अनुमति नहीं दी जायेगी। निर्वाची पदाधिकारी प्रत्येक प्रतिक्षेपित किये गये मतपत्र पर 'प्रतिक्षेपित' शब्द पृष्ठांकित करेगा। गर कोई अभ्यर्थी अथवा उसका निर्वाचन या गणना अभिकर्त्ता किसी मतपत्र के प्रतिक्षेपित किये जाने के आदेश पर प्रश्न उठाता है, तब निर्वाची पदाधिकारी वैसे मतपत्र पर संक्षेप में प्रतिक्षेपित करने के आधार को भी अभिलिखित करेगा। सभी प्रतिक्षेपित किये गये मतपत्र एक साथ रखे जायेंगे।

(छ) (i) प्रत्येक मतपत्र जिसे प्रतिक्षेपित नहीं किया गया है, एक विधिमान्य मत के रूप में गिना जायेगा, परन्तु निविदत्त मतपत्र वाला कोई लिफाफा नहीं खोला जायेगा एवं वैसा कोई मतपत्र नहीं गिना जायेगा।

(ii) किसी मतदान केन्द्र पर प्रयुक्त सभी मतपेटियों में सम्मिलित मतपत्रों की गणना पूरी हो जाने के पश्चात निर्वाची पदाधिकारी प्रपत्र-24 में परिणाम-पत्र में प्रविष्टियाँ करेगा तथा उनके विवरण घोषित करेगा।

(ज) प्रत्येक अभ्यर्थी के विधिमान्य मतपत्रों एवं प्रतिक्षेपित किये गये मतपत्रों का अलग अलग बंडल बनाया जायेगा एवं उन बंडलों को अलग पैकेट में रखा जायेगा, जो निर्वाची पदाधिकारी के सील द्वारा मुहरबन्द किया जायेगा एवं इसपर वैसे अभ्यर्थी, उनका निर्वाचन अभिकर्त्ता या गणन अभिकर्त्ता, अगर कोई हो एवं जो बन्डलों एवं पैकेट पर अपना सील लगाना चाहें, भी अपनी सील लगा सकेंगे तथा निम्न विवरण अंकित किया जायेगा, यथा -

(i) वार्ड का नाम;

(ii) मतदान केन्द्र का विवरण, जहाँ मतपत्र प्रयुक्त किये गये हैं; और

(iii) गणना की तिथि।

82. जिन आधारों पर मतपत्र नामंजूर किये जा सकेंगे।–(1)(क) उस पर ऐसा कोई चिह्न या लेख है जिससे मतदाता को पहचाना जा सकता है; या

(ख) जिसमें ऐसा कोई क्रमांक या निशान है जो मतदान केन्द्र पर उपयोग हेतु अधिकृत मतपत्रों के क्रमांक या निशानों से भिन्न है; या

(ग) अगर उसपर कोई मत नहीं दिया गया है; या

(घ) एक से अधिक अभ्यर्थी के पक्ष में मत दिया गया है; या

(ङ) अगर मत दिखलाने वाला निशान इस प्रकार अवस्थित है कि यह सन्देह उत्पन्न हो जाये कि किस अभ्यर्थी को मत दिया गया है; या

(च) यह अतिरिक्त मतपत्र है; या

(छ) अगर इन पर प्रभेदक चिह्न या पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है; या

(ज) इस पर विहित उपकरण से भिन्न उपकरण से चिह्न लगाया गया है; या

(झ) मतपत्र प्रपत्र 14 (ख) में अंकित किसी अभ्यर्थी का नाम या अभ्यर्थियों के नाम, क्रम या किसी अभ्यर्थी को आवंटित निर्वाचन प्रतीक के अनुरूप मुद्रित नहीं है; या

(ञ) यह इस पप्रकार क्षतिग्रस्त या विकृत किया गया है कि उसकी पहचान स्थापित नहीं की जा सकती है; या

(ट) ऐसा कोई अन्य आधार जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सामान्य या विशिष्ट निदेश से विहित किया गया हो;

परन्तु यह कि निर्वाची पदाधिकारी का समाधान हो जाने पर कि खण्ड (छ) में वर्णित त्रुटि संबंधित पीठासीन पदाधिकारी या मतदान पदाधिकारी की भूल के कारण हुई है, वैसी त्रुटि के आधार पर मतपत्र प्रतिक्षेपित नहीं किया जायेगा;

परन्तु यह भी कि कोई मतपत्र मात्र इस आधार पर प्रतिक्षेपित नहीं किया जायेगा कि मत को प्रदर्शित करने वाला निशान अस्पष्ट है अथवा एक से अधिक बार लगाया गया है, अगर मतपत्र पर लगाये गये निशान से किसी अभ्यर्थी विशेष के लिये मत देने की मंशा का स्पष्ट पता चल जाये।

(2) राज्य निर्वाचन आयोग के किसी सामान्य अथवा विशिष्ट निदेश के अधीन किसी मतपत्र की विधिमान्यता के संबंध में निर्वाची पदाधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

83. मतपत्रों आदि के लेखा का सत्यापन।–निर्वाची पदाधिकारी 'निविदत्त मतपत्र' मतदाता सूची की चिह्नित प्रति अथवा मतपत्रों के प्रतिपर्ण के सीलबन्द पैकेटों को नहीं खोलेगा। वह नियम 78 के अधीन पीठासीन पदाधिकारी द्वारा समर्पित लेखा का सत्यापन उसका नियम 81 के खण्ड (ङ) के अधीन तैयार किये गये विवरण और गिने गये मतों एवं प्रतिक्षेपित मतों, उसके पास उपलब्ध अप्रयुक्त मतपत्र एवं निविदत्त मतों की सूची से मिलान कर करेगा एवं अपने द्वारा खोले गये प्रत्येक पैकेट को पुनः बन्द एवं सीलबन्द करेगा, तथा प्रत्येक पैकेट पर उसकी अन्तर्वस्तु एवं संबंधित निर्वाचन की तिथि का विवरण अंकित करेगा।

84. परिणाम की घोषणा एवं निर्वाचन प्रमाण-पत्र दिया जाना।–(1) मतों की गणना समाप्त हो जाने के पश्चात निर्वाची पदाधिकारी उस अभ्यर्थी अथवा अभ्यर्थियों को, जैसा मामला हो, जिन्हें सबसे अधिक मत प्राप्त हुये हैं, निर्वाचित घोषित करेगा।

परन्तु किसी अभ्यर्थी या उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी प्रतिनिधि द्वारा आवेदन दिये जाने पर परिणाम घोषणा के पूर्व, पुनर्गणना करायी जायेगी, किन्तु निर्वाची पदाधिकारी ऐसे किसी आवेदन को अस्वीकृत कर सकेगा, जो इसे तुच्छ प्रतीत हो तथा ऐसी अस्वीकृति का कारण भी उसी समय अभिलिखित करेगा।

(2) अगर मतों की गणना पूर्ण हो जाने के पश्चात किन्हीं अभ्यर्थियों को समान मत प्राप्त हुये हों एवं एक मत अधिक हो जाने से उनमें से कोई अभ्यर्थी निर्वाचित घोषित किया जा सकता हो तब निर्वाची पदाधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यथाविहित रिति से उन अभ्यर्थियों के बीच लॉटरी निकालेगा, तथा जिस अभ्यर्थी के पक्ष में

लॉटरी निकलेगी उसे एक अतिरिक्त मत प्राप्त हो गया मानकर कार्रवाई करेगा।

(3) निर्वाचन प्रमाण-पत्र - परिणाम की घोषणा के पश्चात् निर्वाची पदाधिकारी प्रपत्र-25 में निर्वाचन प्रमाण-पत्र देगा।

85. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान कराये जाने की स्थिति में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया।—मतदान के लिये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किये जाने की स्थिति में मतदान, मतों की रिकॉर्डिंग एवं गणना, मशीन को सीलबन्द करना एवं परिणाम की घोषणा आदि हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जायेगी;

परन्तु, जहाँ तक व्यवहारिक हो, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया जायेगा वहाँ कन्ट्रोल यूनिट में विभिन्न अभ्यर्थियों से संबंधित डेटा जिस प्रकार प्रदर्शित है, उसी प्रकार की एक सारणी बना कर सभी डेटा की हार्ड कॉपी बना ली जायेगी तथा उस कॉपी पर सभी उपस्थित अभ्यर्थी अथवा उनके निर्वाचन अभिकर्ता तथा निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर लेकर एक गॉज लिफाफे में रख दिया जायेगा तथा उसे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक निर्वाची पदाधिकारी को विशेष रूप से आपूरित सेक्रेट सील से सीलबन्द कर जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अभिरक्षा में रख दिया जायेगा। उक्त सीलबन्द लिफाफे की अभिरक्षा एवं विनष्टीकरण की कार्रवाई **नियम 89** के अध्यधीन की जायेगी। आयोग द्वारा आपूरित सेक्रट सील निर्वाचन परिणाम घोषित होने के 36 घंटे के अन्दर आयोग को निश्चित रूप से वापस कर दी जायेगी।

86. परिणाम का प्रतिवेदन।—(1) निर्वाचन परिणाम की घोषणा कर दिये जाने के पश्चात, यथाशीघ्र, निर्वाची पदाधिकारी, जिला निर्वाचन पदाधिकारी को परिणाम का प्रतिवेदन भेजेगा। निर्वाची पदाधिकारी परिणाम से संबंधित प्रतिवेदन तैयार कर उसे प्रमाणित करेगा जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

(i) अभ्यर्थियों के नाम जिन्हें विधिमान्य मत प्राप्त हुये हैं;

(ii) प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त विधिमान्य मतों की संख्या;

(iii) निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम;

(iv) प्रतिक्षेपित मतों की संख्या;

(v) निविदत्त मतों की संख्या।

(2) निर्वाची पदाधिकारी अभ्यर्थी अथवा उसके द्वारा सम्यक रूप से लिखित में अधिकृत किसी व्यक्ति को ऐसे प्रतिवेदन अथवा उसका उद्धरण की प्रति लेने की अनुमति देगा।

87. निर्वाचित पार्षदों के नामों का प्रकाशन।—जिला निर्वाचन पदाधिकारी नियम-86 के उप नियम (1) के अधीन उसे प्रतिवेदित नगरपालिका के सभी पार्षदों के नाम अपने कार्यालय, अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय, नगरपालिका के कार्यालय एवं अन्य ऐसे स्थानों में, जो वह उचित समझे, प्रकाशित करेगा तथा उसकी एक प्रति अथवा इस तरह प्रकाशित नामों की सूची राज्य सरकार को राजकीय गजट में प्रकाशन हेतु तथा राज्य निर्वाचन आयोग को संसूचित करेगा।

88. पैकेटों की अन्तर्वस्तु का निरीक्षण।—अधिकारियों की अभिरक्षा में रखे गये मतपत्रों के पैकेट (चाहे गणना किये गये, रद्द किये गये या निविदत्त), प्रयुक्त मतपत्रों के प्रतिपर्णों के पैकेट एवं मतपत्रों के पैकेट तथा निविदत्त मतों की सूची खोली नहीं जायेगी और उनके अन्तर्वस्तु का उपस्थापन एवं निरीक्षण सिवाय राज्य निर्वाचन आयोग अथवा अधिनियम की धारा 476 के तहत प्राधिकृत पदाधिकारी की अनुमति के नहीं किया जा सकेगा, किन्तु निर्वाचन से संबंधित अन्य दस्तावेज राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यथानिर्धारित शर्तों और फी के भुगतान पर सर्वसाधारण के निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे।

89. पैकेटों का विनष्टीकरण।—(1) उपर्युक्त पैकेट एक साल की अवधि तक रखे जायेंगे तथा राज्य निर्वाचन आयोग अथवा अधिनियम की धारा 476 के अन्तर्गत विहित प्राधिकारी के अन्यथा आदेश के अध्यधीन नष्ट कर दिये जायेंगे।

(2) निर्वाचन से संबंधित अन्य कागजात संबंधित वार्ड के लिये अगले सामान्य चुनाव तक सुरक्षित रखे जायेंगे एवं राज्य निर्वाचन आयोग अथवा अधिनियम की धारा 476 के अन्तर्गत विहित प्राधिकारी के अन्यथा आदेश के

अध्यधीन नष्ट कर दिये जायेंगे।

90. निर्वाचन कागजातों की अभिरक्षा एवं संरक्षण।—नीचे अंकित निर्वाचन कागजातों की अभिरक्षा एवं संरक्षण हेतु निम्नलिखित नियम अपनाये जायेंगे, यथा

(i) प्रारंभिक मतदाता सूची के संदर्भ में दावे एवं आपतियाँ;

(ii) अन्तिम मतदाता सूचियाँ;

(iii) अभ्यर्थियों के नामांकन पत्र;

(iv) अभ्यर्थिता की वापसी;

(v) वार्डों को मतदान क्षेत्रों में विभक्त करने एवं प्रत्येक ऐसे क्षेत्र के लिये मतदान केन्द्र बनाने से संबंधित निर्वाची पदाधिकारी के आदेश;

(vi) अभ्यर्थियों के अभिकर्त्ताओं के नियुक्ति पत्र;

(vii) नामांकित अभ्यर्थियों की सूची; और

(viii) निर्वाचन व्यय का रिटर्न

(2) उप नियम (1) के खण्ड (iii) एवं (viii) में अंकित कागजातों को छोड़कर, उपर्युक्त कागजात नगरपालिका के मुख्य कार्यालय में सामान्य अभिलेखागार में एक वर्ष की अवधि के लिये रखे जायेंगे बशर्ते कि उनको अधिक समय तक रखे जाने के संबंध में कार्यपालक पदाधिकारी अथवा सक्षम न्यायालय द्वारा अन्यथा आदेश नहीं दिया जाता है।

(3) अभ्यर्थियों के नामांकन पत्र संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी की अभिरक्षा में रहेंगे एवं एक वर्ष की अवधि तक रखे जायेंगे तथा तदोपरान्त नष्ट कर दिये जायेंगे बशर्ते कि इस संबंध में किसी सक्षम न्यायालय का अन्यथा आदेश न हो।

(4) कार्यपालक पदाधिकारी के पास जमा किया गया निर्वाचन व्यय से संबंधित रिटर्न एक वर्ष तक सुरक्षित रखा जायेगा तथा तदोपरान्त नष्ट कर दिया जायेगा बशर्ते कि उसे अधिक समय तक रखने हेतु सक्षम न्यायालय का कोई अन्यथा आदेश न हो।

(5) सर्वसाधारण को उप नियम (1) में उल्लिखित निर्वाचन कागजातों के निरीक्षण का एवं संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी को आवेदन देकर उनकी अभिप्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने का अधिकार होगा।

91. नगरपालिका कर्मियों द्वारा निर्वाचन में प्रचार अथवा सहायता करना वर्जित।—नगरपालिका के नियोजन में अथवा उससे वेतन प्राप्त करने वाला कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी अभ्यर्थी के पक्ष में प्रचार अथवा अन्यथा सहयोग नहीं करेगा, सिवाय इस नियमावली के अनुसार अपना मत देने के।

(2) अगर कोई व्यक्ति उप नियम (1) के प्रावधान का उल्लंघन करता है, तो उसे नगरपालिका की सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है, तथा सहायक अवर निरीक्षक से अन्यून किसी आरक्षी पदाधिकारी को वैसे व्यक्ति को अभियोजित करने का अधिकार होगा, जो उप नियम (1) के प्रावधान का उल्लंघन करता पाया जाता है। वैसे व्यक्ति को उस अवधि के कारावास से जो छः महीने तक बढ़ायी जा सकती है अथवा अर्थ दण्ड से अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है।

92. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निदेश।—राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन के सम्यक संचालन के लिये समय-समय पर ऐसे निदेश निर्गत कर सकेगा, जो वह उचित समझे।

भाग – V

नगरपालिकाओं के मुख्य पार्षद/उप मुख्य पार्षद का निर्वाचन

93. मुख्य पार्षद तथा उप मुख्य पार्षद के निर्वाचन हेतु बैठक बुलाना।—(1) जिला दण्डाधिकारी अथवा उसके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत उप समाहर्ता स्तर से अन्यून कोई अन्य पदाधिकारी, जो आगे नियम 94 से 96 तक के उद्देश्य के लिये निर्वाची पदाधिकारी कहा जायेगा, अधिनियम की धारा 35 के अनुसार

प्रत्येक नगरपालिका के मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद का निर्वाचन करने हेतु निर्वाचित पार्षदों की एक बैठक बुलायेगा।

बैठक की तिथि के कम से कम सात पूरे दिन पहले निर्वाचित पार्षदों को बैठक के स्थान, तिथि एवं समय की सूचना निर्गत की जायेगी।

94. पीठासीन पदाधिकारी।—मुख्य पार्षद तथा उप मुख्य पार्षद का निर्वाचन कराने के उद्देश्य से अधिनियम की धारा 35 के अधीन बैठक की अध्यक्षता निर्वाची पदाधिकारी करेगा, किन्तु बैठक में उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा।

95. मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद के पद के लिये अभ्यर्थियों का नामांकन।—निर्वाची पदाधिकारी निश्चित स्थान, तिथि एवं समय पर अभ्यर्थियों से मुख्य पार्षद तथा उप मुख्य पार्षद पद के लिये नामांकन की मांग करेगा। निर्वाचन के लिये किसी अभ्यर्थी का नाम प्रस्तावित करने का इच्छुक कोई पार्षद प्रपत्र-26 में नामांकन पत्र देगा, जिसमें प्रस्तावक के रूप में उसका अपना हस्ताक्षर तथा समर्थक के रूप में कम से कम एक पार्षद का हस्ताक्षर एवं निर्वाचन हेतु प्रस्तावित अभ्यर्थी का नाम उसकी सहमति सहित सम्मिलित होगा। अगर किसी नामांकन पत्र में दो पार्षदों एवं एक अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित नहीं हो तब निर्वाची पदाधिकारी इसे अविधिमान्य घोषित कर देगा।

96. सविरोध एवं निर्विरोध निर्वाचनों की स्थिति में प्रक्रिया।—(1) अगर मात्र एक विधिमान्य नामांकन प्राप्त होता है, तो इस तरह नामांकित अभ्यर्थी को निर्वाची पदाधिकारी सम्यक रूप से निर्वाचित घोषित कर देगा।

(2) अगर एक से अधिक अभ्यर्थी विधिमान्य रूप से नामांकित किया जाता है, तो निर्वाची पदाधिकारी पार्षदों को निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार मतपत्र द्वारा मत देने हेतु कहेगा —

(क) (i) निर्वाची पदाधिकारी मत देने हेतु अर्हित एवं बैठक में उपस्थित प्रत्येक पार्षद को **प्रपत्र-27** में एक मतपत्र, जिसमें सभी सम्यक रूप से नामांकित अभ्यर्थियों के नाम रहेंगे, वितरण करेगा अथवा वितरीत करवायेगा।

(ii) मत देने का इच्छुक पार्षद तब अपना मत अंकित करने हेतु आगे आयेगा एवं जिस अभ्यर्थी के लिये वह मत देना चाहता है उसके नाम के आगे क्रॉस (X) चिह्न लगायेगा, किन्तु मतपत्र पर हस्ताक्षर नहीं करेगा अथवा कोई अन्य निशान नहीं लगायेगा, एवं इस उद्देश्य हेतु रखी गई मतपेटी में मतपत्र को डाल देगा।

(ख) तत्पश्चात् निर्वाची पदाधिकारी प्रत्येक अभ्यर्थी के पक्ष में दिये गये मतों की गणना करेगा। अगर मात्र दो अभ्यर्थी हैं, तब वह बहुमत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को सम्यक रूप से निर्वाचित घोषित कर देगा। अगर दोनों अभ्यर्थियों को समान मत प्राप्त होते हैं तब उन दोनों के बीच निर्वाची पदाधिकारी द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित रिति से लॉटरी निकाली जायेगी, तथा जिस अभ्यर्थी के पक्ष में लॉटरी निकले, उसे एक अतिरिक्त मत प्राप्त हुआ मानकर कार्रवाई की जायेगी।

(ग) अगर दो से अधिक अभ्यर्थी सम्यक रूप से नामांकित हैं, तब विलोपन की निम्नलिखित पद्धति अपनाई जायेगी —

(i) मतों की रिकार्डिंग एवं गणना के पश्चात निर्वाची पदाधिकारी प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त कुल मतों की घोषणा करेगा। किसी एक अभ्यर्थी को कुल दिये गये मतों की संख्या के आधे से अधिक मत प्राप्त होने पर उसे सम्यक रूप से निर्वाचित घोषित कर दिया जायेगा।

(ii) अगर किसी भी अभ्यर्थी को कुल मतों के आधे से अधिक मत प्राप्त नहीं होता है, तब सबसे कम मत प्राप्त होने वाले अभ्यर्थी को विलोपित कर दिया जायेगा एवं नये सिरे से मत लिया जायेगा। यह प्रक्रिया तबतक जारी रखी जायेगी जबतक कि किसी एक अभ्यर्थी को कुल दिये गये मतों के आधे से अधिक मत प्राप्त नहीं हो जाता है, एवं तत्पश्चात उसे सम्यक रूप से निर्वाचित घोषित कर दिया जायेगा।

(iii) अगर प्रत्येक अभ्यर्थी के पक्ष में दिये गये मतों की संख्या समान है, या सबसे कम मत प्राप्त करने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के पक्ष में समान संख्या में मत प्राप्त हुये हैं, तब उनमें से एक अभ्यर्थी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित तरीके से लॉटरी निकालकर विलोपित किया जायेगा।

उदाहरण– (i) 18 दिये गये मतों में A को 10 मत एवं B को 8 मत प्राप्त होते हैं, तो A सम्यक रूप से निर्वाचित हो जायेगा।

(ii) 18 दिये गये मतों में A को 9 मत एवं B को भी 9 मत प्राप्त होते हैं, तो दो अभ्यर्थियों में से एक के विलोपन के लिये लॉटरी निकाली जायेगी।

(iii) 18 दिये गये मतों में A को 6 मत एवं B को 6 मत एवं C को 6 मत प्राप्त होते हैं, तो एक अभ्यर्थी के विलोपन के लिये लॉटरी निकाली जायेगी तथा पुनः मत लिया जायेगा।

(iv) 18 दिये गये मतों में A को 8 मत एवं B को 6 मत एवं C को 4 मत प्राप्त होते हैं, तो C को विलोपित कर दिया जायेगा एवं पार्षद A एवं B के लिये पुनः मत करेंगे।

(v) 18 दिये गये मतों में A को 8 मत एवं B को 5 मत एवं C को 5 मत प्राप्त होते हैं, तब B या C के विलोपन के लिये लॉटरी निकाली जायेगी तथा आगे मत लिया जायेगा।

(3) उप मुख्य पार्षद के निर्वाचन में भी यही पद्धति अपनाई जायेगी।

(4) परिणाम **प्रपत्र–28** में तैयार किया जायेगा एवं निर्वाची पदाधिकारी द्वारा घोषित किया जायेगा।

(5) परिणामों की घोषणा के पश्चात निर्वाची पदाधिकारी ऐसे निर्वाचित अभ्यर्थी को **प्रपत्र–25** में निर्वाचन प्रमाण-पत्र देगा।

97. नगरपालिका में किसी रिक्ति को भरने की प्रक्रिया।—नगरपालिका में मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद की किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने हेतु निर्वाचन में नियम 93 से 96 में वर्णित प्रक्रिया लागू होगी।

भाग– VI

प्रकीर्ण

98. मतदान के पहले अभ्यर्थी की मृत्यु।—अगर किसी अभ्यर्थी, जिसका नामांकन नियम 43 के अधीन विधिमान्य पाया गया है, की मृत्यु हो जाती है, और उसकी मृत्यु की सूचना मतदान शुरु होने के पहले निर्वाची पदाधिकारी को प्राप्त हो जाती है, तब निर्वाची पदाधिकारी अभ्यर्थी की मृत्यु के तथ्य के बारे में संतुष्ट हो जाने पर, मतदान को प्रत्यादिष्ट कर देगा एवं राज्य निर्वाचन आयोग को तथ्य से अवगत करायेगा; एवं निर्वाचन के संदर्भ में सभी कार्रवाईयाँ नये सिरे से शुरु की जाएंगी, जैसे कि यह नया निर्वाचन हो;

परन्तु यह कि जिस अभ्यर्थी का नामांकन मतदान के प्रत्यादिष्ट होने के समय विधिमान्य था, उसे दुबारा नामांकन देने की आवश्यकता नहीं होगी;

परन्तु यह भी कि जिस व्यक्ति ने नियम 48 (4) के अधीन अपनी अभ्यर्थिता वापसी की सूचना मतदान के प्रत्यादिष्ट होने के पूर्व दे दी हो, वह ऐसी प्रत्यादिष्टि के पश्चात निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में नामंकित होने हेतु अयोग्य नहीं होगा।

99. आपात स्थिति में मतदान का स्थगन।—(1) यदि किसी निर्वाचन में मतदान केन्द्र पर मतदान के दौरान बलवा, हिंसा, प्राकृतिक विपदा, मतदान सामग्री के विनष्ट हो जाने या अन्य किसी पर्याप्त कारण से मतदान कराया जाना संभव नहीं हो, तो वैसे मतदान केन्द्र का पीठासीन पदाधिकारी अथवा निर्वाची पदाधिकारी उस मतदान को बाद में घोषित की जाने वाली तिथि के लिए स्थगित कर देगा, एवं जहाँ पीठासीन पदाधिकार द्वारा मतदान को स्थगित किया गया है, वह तत्क्षण निर्वाची पदाधिकारी को इसकी सूचना देगा।

(2) जहाँ उप नियम (1) के अधीन कोई मतदान स्थगित कर दिया गया है, निर्वाची पदाधिकारी अविलम्ब राज्य निर्वाचन आयोग को परिस्थितियों की सूचना देगा एवं राज्य निर्वाचन आयोग की पूर्व अनुमति से, उस मतदान केन्द्र में पुनः आगे मतदान कराने का आदेश देगा और इस निमित्त तिथि एवं समय नियत करेगा; और तब तक उस निर्वाचन में मतों की गिनती नहीं करेगा जबतक स्थगित मतदान पूरा नहीं कर लिया जाता है।

(3) उपर्युक्त प्रत्येक मामले में निर्वाची पदाधिकारी नगरपालिका के संबंधित वार्ड में, उस तरीके से जो वह उचित समझे, उप नियम (2) के अधीन तारीख, स्थान एवं समय की सूचना प्रकाशित करेगा।

100. अधिकतम निर्वाचन व्यय।–(1) किसी निर्वाचन में प्रत्येक अभ्यर्थी नाम निर्देशन एवं निर्वाचन परिणाम घोषणा की तिथि की अवधि (दोनों दिन सहित) में या तो स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा निर्वाचन से संबंधित किये गये सभी खर्च अथवा उसके या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा अधिकृत किये गये खर्चों का लेखा अलग से संधारित करेगा।

(2) कोई भी अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा किसी वार्ड में निर्वाचन के संचालन एवं प्रबंधन में निम्नलिखित राशि से अधिक कोई व्यय न किया जायेगा या न प्राधिकृत किया जायेगा :-

(1) नगर पंचायत के किसी वार्ड के मामले में दस हजार रूपये;

(2) नगर परिषद के किसी वार्ड के मामले में बीस हजार रूपये;

(3) नगर निगम के किसी वार्ड के मामले में जिसकी आबादी 4000 - 10,000 हो, तीस हजार रूपये;

(4) नगर निगम के किसी वार्ड के मामले में जिसकी आबादी 10001-20,000 हो, चालीस हजार रूपये;

(5) कोई अभ्यर्थी जिसने या तो स्वयं या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपर्युक्त राशि से अधिक व्यय किया है तथा निर्वाचन में किये गये सभी खर्चों का अलग एवं सही ब्योरा नहीं रखा है, या परिणाम के घोषणा के तीस दिनों की अवधि के भीतर निर्वाचन व्यय से संबंधित लेखा प्रस्तुत करने में असफल रहता है, विधि के अनुसार दंडित किये जाने योग्य होगा।

101. निर्वाचन व्यय की विवरणी।–(1) निर्वाचन व्यय की विवरणी निर्वाचन परिणाम की घोषणा के दिन से तीस दिनों के अन्दर निर्वाची पदाधिकारी के यहाँ जमा की जाएगी।

(2) अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा परिशिष्ट-1 में उल्लिखित प्रपत्र में निर्वाचन व्यय लेखा संधारित किया जाएगा।

(3) निर्वाची पदाधिकारी समर्पित लेखा की सत्याता के संबंध में जाँच करेगा एवं तत्पश्चात अपने कार्यालय के सूचना पट पर निम्नलिखित सूचना प्रदर्शित करेगा –

(क) तिथि, जिस दिन लेखा जमा किया गया है;

(ख) अभ्यर्थी का नाम; और

(ग) समय एवं स्थान, जहाँ ऐसे लेखा का निरीक्षण किया जा सकता है। जाँच लेखा जमा करने के दस दिनों के अन्दर पूरी कर ली जानी चाहिए।

(4) दस रूपये की फी परिदत्त किये जाने पर कोई व्यक्ति ऐसे लेखा का निरीक्षण करने का हकदार होगा, एवं प्रत्येक पृष्ट के लिए दो रूपये फी भुगतान करने पर वह उस लेखा या इसके किसी अंश की अभिप्रमाणित प्रति लेने का हकदार होगा।

102. चुनाव याचिका।–नगरपालिका के पार्षद, मुख्य पार्षद अथवा उप मुख्य पार्षद के पद के लिए इस नियमावली के अधीन कराया गया कोई चुनाव सिवा इस भाग के अनुसार प्रस्तुत चुनाव याचिका के प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।

103. चुनाव याचिका का प्रस्तुतीकरण।–(1) किसी चुनाव को चुनौती देने वाली कोई चुनाव याचिका, अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा नगर पंचायत के पार्षद, मुख्य पार्षद अथवा उप मुख्य पार्षद के संबंध में मुंसिफ के यहाँ एवं नगर परिषद/नगर निगम के पार्षद, मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद के संबंध में सब जज के यहाँ, यथास्थिति, जिसकी अधिकारिता में उक्त वार्ड या नगरपालिका पड़ती है, प्रस्तुत की जायेगी।

(2) वैसी चुनाव याचिका यथास्थिति पार्षद या मुख्य पार्षद या उप मुख्य पार्षद के निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि से तीस दिनों के अन्दर दायर की जायेगी।

(3) अगर उप नियम (2) के द्वारा चुनाव याचिका प्रस्तुतीकरण के लिए विहित अवधि ऐसे दिन को समाप्त होती है, जो निगोशियएबुल इन्स्ट्रुमेन्ट्स एक्ट, 1881 की धारा 25 के अर्थ के अधीन सार्वजनिकत अवकाश है, या

राज्य सरकार द्वारा सरकारी कार्यालयों या न्यायालयों में अवकाश के रूप में मनाने हेतु अधिसूचित किया गया है, तब वह चुनाव याचाका सही समय पर प्रस्तुत की गई मानी जायेगी, अगर वह अगले दूसरे दिन, जो न तो सार्वजनिक अवकाश है न इस रूप में अधिसूचित किया गया है, प्रस्तुत कर दी जाती है।

104. राहत का दावा किया जाना एवं इसके आधार।—अगर आवेदक ऐसा चाहे तो निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन को प्रश्नगत करने के अतिरिक्त ऐसी घोषणा किये जाने हेतु दावा कर सकता है कि वह स्वयं या दूसरा अभ्यर्थी सम्यक रूप से निर्वाचित हुआ है; किन्तु ऐसी घोषणा का दावा निम्नलिखित आधारों में से किसी एक या दूसरे आधार पर ही किया जा सकता है, यथा –

(क) कि वस्तुतः प्रार्थी या ऐसे अन्य उम्मीदवार ने वैध मतों से बहुमत प्राप्त किया है; या

(ख) कि निर्वाचित उम्मीदवार द्वारा भ्रष्ट अथवा अवैधानिक आचरण से प्राप्त मत को छोड़कर प्रार्थी या ऐसा अन्य उम्मीदवार वैध मतों का बहुमत प्राप्त कर लिया होता; या

(ग) कि किसी नामांकन पत्र की अनुचित स्वीकृति या अस्वीकृति नहीं होने पर प्रार्थी या ऐसा अन्य उम्मीदवापर सम्यक रूप से निर्वाचित घोषित किया जाता।

105. याचिका की अन्तर्वस्तु।—(1) चुनाव याचिका में उन महत्वपूर्ण तथ्यों के संक्षिप्त कथन को समाविष्ट किया जायेगा जिनपर प्रार्थी निर्भर करता है, एवं जहाँ भी आवश्यक होगा इसे लगातार संख्या में कंडिका में विभक्त किया जायेगा। याचिका आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित की जायेगी और अभिवचनों के सत्यापन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में प्रतिपादित तरिके से सत्यापित की जायेगी।

(2) (क) याचिका में किसी भ्रष्ट कार्य या आचरण की पूर्ण विवरणियों को वर्णित किया जायेगा जिन्हें प्रार्थी आरोपित करता है, जिसमें भ्रष्ट कार्य या आचरण को किये जाने हेतु आरोपित पक्षकारों के नामों की यथासंभव पूर्ण विवरणी और इस कार्य को घटित होने की तिथि एवं समय भी सम्मिलित रहेगा।

(ख) नियम 103 में नामोद्दिष्ट प्राधिकारी, खर्च एवं अन्य निदेशित शर्तों के अधीन, उक्त सूची के प्रविष्ट विवरण में किसी समय संशोधन करने की अनुमति दे सकेगा, अथवा याचिका के निष्पक्ष एवं फलोत्पादक विचारण के उद्देश्य हेतु उसकी दृष्टि में आवश्यक अन्य ऐसे एवं बेहतर विवरण देने हेतु निदेश दे सकेगा।

परन्तु नामोद्दिष्ट प्राधिकारी उप नियम (2) के खण्ड (क) में उल्लिखित भ्रष्ट आचरण या कार्रवाई से संबंधित कोई विवरण के अतिरिक्त ऐसे संशोधन में अन्य भ्रष्ट आचरण या कार्रवाई का विवरण सम्मिलित करने की अनुमति नहीं देगा।

106. याचिका के पक्षकार।—प्रार्थी अपनी याचिका में प्रत्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को जोड़ेगा :-

(क) जहाँ प्रार्थी ऐसी घोषणा करने के दावे के अतिरिक्त कि सभी या किन्हीं निर्वाचन अभ्यर्थियों का निर्वाचन रद्द करने योग्य हो, अन्य घोषणा का दावा करता है कि स्वयं उसे या किसी अन्य अभ्यर्थी को सम्यक रूप से निर्वाचित किया जाना चाहिए, प्रार्थी के अलावा सभी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को और जहाँ कोई ऐसी अन्य घोषणा का दावा नहीं किया जाय तो सभी निर्वाचित अभ्यर्थियों को और;

(ख) किसी अन्य अभ्यर्थी को जिसके विरूद्ध किसी भ्रष्ट आचरण के आरोप को याचिका में लगाया गया हो।

107. कोर्ट फीस।—नगर पंचायत/नगर परिषद के पार्षद अथवा मुख्य पार्षद/उप मुख्य पार्षद के प्रसंग में चुनाव याचिका के लिए दो हज़ार पाँच सौ रूपये कोर्ट शुल्क एवं नगर निगम के पार्षद अथवा मुख्य पार्षद/उप मुख्या पार्ष के प्रसंग में पाँच हजार रूपये का कोर्ट शुल्क याचिकाकर्ता याचिका के प्रस्तुतीकरण के साथ जमा करेगा।

108. चुनाव याचिका की वापसी।—चुनाव याचिका न्यायालय के आदेश के बिना वापस नहीं ली जा सकेगी, परन्तु यह कि यदि चुनाव याचिका में एक से अधिक वादी हों, तो सर्वसम्मति के बिना चुनाव याचिका वापस नहीं ली जा सकेगी।

109. चुनाव याचिका का निष्पादन।—नियम 103 के अधीन विहित प्राधिकारी व्यवहार प्रक्रिया संहिता 108 में निर्दिष्ट रीति से चुनाव याचिका की सुनवाई एवं निष्पादन करेगा। चुनाव याचिका की सुनवाई में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1972 लागू होगा।

110. चुनाव याचिका पर आदेश की प्रति उपलब्ध कराया जाना।–न्यायालय विहित प्राधिकारी द्वारा चुनाव याचिका पर पारित आदेश की प्रति जिला निर्वाचन पदाधिकारी तथा आयोग को उपलब्ध करायी जायेगी।

111. चुनाव याचिका दायर करने हेतु अभिलेखों से संबंधित सूचना अथवा सत्यापित प्रति समय सीमा के अन्दर उपलब्ध कराया जाना।–(1) अगर कोई व्यक्ति विहित तरीके से निर्वाचन से संबंधित निर्वाचन परिणाम या अन्य सूचना या कागजात की प्रति चुनाव याचिका दायर करने अथवा अन्य उद्देश्यों के लिये प्राप्त करने का आवेदन देता है, तो निर्वाची पदाधिकारी के लिए यह लाजिमी होगा कि वह ऐसे आवेदन दायर करने के अधिकतम पाँच दिनों के अन्दर संबंधित सूचना/कागजात आवेदक को उपलब्ध कराये। अगर आवेदक निर्धारित तिथि को सूचना अथवा सत्यापित प्रति प्राप्त करने हेतु उपस्थित नहीं होता है, तो जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) को मामले की सूचना उसी दिन दे दी जायेगी।

(2) अगर संबंधित निर्वाची पदाधिकारी वांछित सूचना अथवा सत्यापित प्रति बिना युक्तियुक्त कारण के विहित अवधि में देने में असफल रहता है अथवा सूचना देने में कदाशय पूर्वक इन्कार करता है, अथवा किसी तरीके से बाधा उत्पन्न करता है, तब इस संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर राज्य निर्वाचन आयोग ऐसी असफलता के संबंध में स्पष्टीकरण देने हेतु मौखिक अथवा लिखित निदेश के बाद, विलम्ब के प्रत्येक दिन हेतु पाँच सौ रूपये का जुर्माना, जब तक संबंधित सूचना अथवा सत्यापित प्रति आवेदक को उपलब्ध नहीं करा दी जाती है, अधिरोपित कर सकता है। जुर्माने की वसूली संबंधित निर्वाची पदाधिकारी के व्यक्तिगत वेतन अथवा परिलब्धियों से ऐसे तरीके से की जायेगी, जो राज्य निर्वाचन आयोग निदेशित करे।

परन्तु ऐसा दण्ड अधिरोपित करने के पूर्व राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संबंधित निर्वाची पदाधिकारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा।

परन्तु यह भी कि यह साबित करने की जिम्मेवारी संबंधित निर्वाची पदाधिकारी की होगी कि उसने युक्तियुक्त तरीके एवं तत्परता से व्यवहार किया है।

(3) जब निर्णय लेने के समय राज्य निर्वाचन आयोग का यह विचार हो कि निर्वाची पदाधिकारी बिना युक्ति युक्त कारण के उल्लिखित अवधि में सूचना अथवा सत्यापित प्रति देने में असफल रहा है या कदाशयता से अनुरोध को इनकार किया है, तब राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाची पदाधिकारी के विरूद्ध उसके लिये लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई करने का अनुशंसा करेगा।

112. शपथ–ग्रहण।–(1) प्रत्येक नगरपालिका के निर्वाचित पार्षदों का शपथ ग्रहण/प्रतिज्ञान अधिनियम की धारा 15 में निर्दिष्ट तरीके से कराया जायेगा। शपथ-ग्रहण समारोह के कार्यक्रम राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियत किये जायेंगे।

(2) नगरपालिका के मुख्य पार्षद/उप मुख्य पार्षद को भी अधिनियम की धारा 24 में निर्दिष्ट तरीके से शपथ-ग्रहण कराया जायेगा। शपथ-ग्रहण समारोह के कार्यक्रम राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियत किये जायेंगे।

113. एक ही अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक स्थान से निर्वाचित होने की स्थिति में नगरपालिका में स्थान का रिक्त हो जाना।–(1) अगर कोई व्यक्ति एक से अधिक वार्ड का प्रतिनिधित्व करने हेतु चुना गया है तब राजकीय राजपत्र में उसके नाम के प्रकाशन की तिथि से पन्द्रह दिनों के अन्दर, एक स्थान को छोड़कर अन्य स्थानों से त्यागपत्र नहीं देने पर सभी स्थान रिक्त हो जायेंगे।

(2) ऐसे त्यागपत्र की सूचना संबंधित व्यक्ति द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षर कर व्यक्तिगत रूप से कार्यपालक पदाधिकारी को दी जायेगी।

(3) उप नियम (2) के अधीन दी गई सूचना अन्तिम एवं अप्रतिसंहरणीय होगी।

114. उप चुनाव।–जब नगरपालिका को लिये निर्वाचित किसी पार्षद का स्थान रिक्त हो जाये अथवा रिक्त घोषित कर दिया जाये अथवा नगरपालिका में उसका चुनाव रद्द घोषित हो जाये, तब राज्य निर्वाचन आयोग की अनुशंसा पर राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे कारण से हुई रिक्त को भरने के उद्देश्य से, वार्ड को एक व्यक्ति को उस तिथि के पहले, जो अधिसूचना में उल्लिखित की जाय, निर्वाचित करने के लिये कहेगी, एवं अधिनियम तथा इस नियमावली के प्रावधान ऐसी रिक्ति को भरने हेतु पार्षद के चुनाव के संदर्भ में यावत्शक्य लागू होंगे।

115. नियमावली का निर्वचन ।–चुनाव याचिका से संबंधित को छोड़कर अगर इस नियमावली के कार्यान्वयन एवं निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न या विवाद उत्पन्न हो तो इसे राज्य निर्वाचन आयोग के निर्णय हेतु लाया जायेगा जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

116. निरसन ।–एतद् द्वारा ''द बिहार म्यूनिसिपल इलेक्शन एण्ड इलेक्शन पिटिशन रूल्स, 1953 (समय-समय पर यथासंशोधित)'' एवं ''द पटना म्यूनिशिपल कॉरपोरेशन : प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रौल्स एण्ड कन्डक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स, 1953 (समय-समय पर यथासंशोधित)'' निरसित किया जाता है।

परिशिष्ट–1

निर्वाचन व्यय की लेखा हेतु पंजी

1. अभ्यर्थी का नाम
2. वार्ड संख्या एवं नगरपालिका का नाम
3. नामांकन दाखिल करने की तिथि
4. निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि

घोषणा

मैं .... जो उपर्युक्त निर्वाचन में एक अभ्यर्थी हूँ, एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि

(1) मेरे /मेरे निर्वाचन अभिकर्ता ने मेरे नामांकन दाखिल करने की तिथि एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि के बीच में, दोनों तिथियों सहित, उपर्युक्त निर्वाचन में मेरे या मेरे निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा किए गए अथवा प्राधिकृत किए गए सभी खर्चों का अलग एवं सही लेखा -जोखा रखा है।

(2) उपर्युक्त लेखा का संधारण निर्वाची पदाधिकारी द्वारा इस उद्देश्य हेतु दी गई पंजी में किया गया है तथा उक्त पंजी उक्त लेखा में वर्णित सभी सहायक अभिश्रवों/विपत्रों के सहित इससे उपाबद्ध हैं।

(3) इससे उपाबद्ध मेरे निर्वाचन व्यय लेखा में मेरे द्वारा अथवा मेरे या मेरे निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा किए गए अथवा अधिकृत निर्वाचन व्यय के सभी मद सम्मिलित हैं तथा कुछ भी छिपा कर /रोक कर/दबा कर नहीं रखा गया है।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

पावती

.... (वार्ड का नाम एवं स्थानीय निकाय का नाम) से संबंधित निर्वाचन व्यय का लेखा, जिसका परिणाम .... (तिथि) को घोषित किया गया था, ... (तिथि) को उसके/उसकी तरफ से दाखिल किया गया है तथा मेरे द्वारा आज दिनांक ...., माह........, वर्ष .... को प्राप्त किया गया है।

निर्वाची पदाधिकारी

निर्वाचन व्यय की पंजी

दिनांक	निर्वाचन व्यय के ब्योरे	किसके द्वारा खर्च किया गया				अभ्यर्थी का हस्ताक्षर	अभियुक्ति
		अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता	मतदान दल	समर्थक	कुल		

प्रपत्र-1

[देखिये नियम 12(1)]

सूचना

.... के वार्ड संख्या .... की मतदाता सूची
(नगरपालिका का नाम)

एतद् द्वारा उपरोक्त वार्ड का प्रारूप मतदाता सूची को सर्व साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है। इस सूची में नाम दर्ज करने के लिए सभी दावा प्रपत्र-2 में तथा सूची में दर्ज नाम के विरुद्ध सभी आपत्तियाँ प्रपत्र-3 में दिनांक ....
(तिथि -माह–200)
तक दायर की जा सकेगी।

रिवाईजिंग अथॉरिटी, जिनके समक्ष ऐसे दावे एवं आपत्तियाँ दायर की जा सकती हैं, ...है,
(नाम एवं पदनाम अंकित करें)
जिनका पता ....
....।

दावे एवं आपत्तियाँ रिवाईजिंग अथॉरिटी को संबोधित किये जायेंगे तथा या तो इस सूचना में विनिर्दिष्ट रिवाईजिंग अथॉरिटी के समक्ष उपस्थापित किये जायेंगे या डाक द्वारा इस प्रकार भेजे जायेंगे ताकि उन्हें दिनांक .... तक प्राप्त हो सके।

स्थान :

दिनांक :

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र-2

[देखिये नियम 12(2)]

.... नगरपालिका के वार्ड संख्या .... की मतदाता सूची में नाम दर्ज करने हेतु दावा

वार्ड संख्या ....

#श्री/श्रीमती/सुश्री ....

पिता/पति .... जो .... (गली/मुहल्ला का नाम)

....वार्ड संख्या ....

डाक घर ....थाना .... जिला

.... के निवासी हैं, का मतदाता सूची में नाम दर्ज करने हेतु दावा।

दावाकर्त्ता भारत का नागरिक है तथा दिनांक 1 जनवरी 2002 को उसकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं है तथा उपरोक्त वार्ड में सामान्यतया $ .... (गली/मुहल्ला का नाम) में 180 दिनों से अन्यून दिनों से निवास करता है। दावाकर्त्ता द्वारा किसी अन्य वार्ड में नाम दर्ज करने के लिए किसी अन्य पते पर दावा नहीं किया गया है।

उपरोक्त कथन के समर्थन में दावाकर्त्ता द्वारा निम्नांकित कागजातों की मूल/सत्यापित प्रतियाँ इस दावे के साथ समर्पित की जाती है :-

(i)

(ii)

(iii)

घोषणा

उपरोक्त विवरण सभी तरह से सही और सत्य है।

दिनांक :   दावाकर्त्ता का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

---

*दावाकर्त्ता की ओर से हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर

पूरा नाम अंकित करें।
$ पूर्ण पता अंकित करें।
*यदि दावाकर्त्ता द्वारा स्वयं हस्ताक्षर नहीं किया जाता हो तो उस स्थिति में दावा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रत्येक मामले में ततसंबंधी प्राधिकार पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

....

दावा की प्राप्ति रसीद

श्री/श्रीमती/सुश्री .... ,

जो .... वार्ड संख्या

.... डाक घर ....थाना

....जिला .... के निवासी हैं,

का मतदाता सूची में नाम दर्ज करने हेतु दायर दावा की प्राप्ति स्वीकार की जाती है।

स्थान :

तिथि :   रिवाईजिंग अथॉरिटी का हस्ताक्षर

प्रपत्र-3

[देखिये नियम 12(2)]

मतदाता सूची में दर्ज नाम के विरूद्ध आपत्ति

वार्ड संख्या- ....

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री* ....

जिनका नाम, ... (नगरपालिका का नाम) के वार्ड संख्या ....

थाना ....,की मतदाता सूची के क्रमांक ....पर

अंकित है, पर मेरी आपत्ति है।

मेरी आपत्ति का आधार :-

है, जिनके संबंध में मैं इस आपत्ति के साथ निम्नांकित कागजातों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति समर्पित करता/करती हूँ।

घोषणा

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि इस आपत्ति में अंकित कथन मेरी जानकारी एवं विश्वास में सत्य है।

मतदाता सूची का क्रमांक -
वार्ड संख्या -
नगर निगम का नाम -
दिनांक -

आपात्तिकर्ता का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
वर्तमान पता -

---

*यहां नाम अंकित करें जैसा कि मतदाता सूची में है।

नोट : कोई भी व्यक्ति जो झूठी घोषणा करता है या सूचना देता है जिसके बारे में वह जानता है या उसे विश्वास है कि वह झूठ है या सत्य नहीं होने का विश्वास करता है, को भा.द.वि. की धारा 182 या/और धारा 199 तथा बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 474 अन्तर्गत दंडित किया जा सकता है।

....

आपत्ति की प्राप्ति रसीद

श्री/श्रीमती/सुश्री ....,
जो .... वार्ड संख्या .... डाक घर ....थाना ....जिला .... के निवासी हैं, के द्वारा मतदाता सूची में दर्ज नाम के विरुद्ध दायर आपत्ति की प्राप्ति स्वीकार की जाती है।

स्थान :
तिथि :

रिवाईजिंग अथॉरिटी का हस्ताक्षर

प्रपत्र- 4
(देखिये नियम 16)

सूचना

सेवा में,

____

____

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि .... नगरपालिका के वार्ड संख्या .... की मतदाता सूची के सम्बन्ध में आपके दावा/आपत्ति की सुनवाई दिनांक .... को .... बजे ....
(स्थान का नाम)
पर की जायेगी तथा आपको निदेश दिया जाता है कि सुनवाई के समय ऐसे साक्ष्यों, जिन्हें आप देना चाहते हों, के साथ उपस्थित हों।

स्थान :

तिथि : रिवाईजिंग अथॉरिटी का हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि इस सूचना को मेरे द्वारा दिनांक .... को श्री/श्रीमती/श्री* ....पर दावा या आपत्ति करते समय/मकान पर चिपकाकर/निजी तौर पर विधिवत तामिल किया गया।

स्थान : रिवाईजिंग अथॉरिटी का हस्ताक्षर

दिनांक :

---

* यहाँ उस व्यक्ति का नाम अंकित करें जिसपर सूचना तामिल की गई है।

प्रपत्र-5

(देखिये नियम 17)

सूचना

सेवा में,

____

वार्ड संख्या- .... नगरपालिका का नाम - ....

चूंकि श्री/श्रीमती/सुश्री* .... वार्ड संख्या .... द्वारा .... नगर निगम के वार्ड संख्या .... की मतदाता सूची में दर्ज आपके नाम के विरुद्ध .... आधार पर आपत्ति की गई है, अतः एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि उक्त आपत्ति की सुनवाई दिनांक .... को .... बजे .... (स्थान का नाम) पर की जायेगी। आपको निदेशित किया जाता है कि सुनवाई के समय ऐसे साक्ष्यों, जिन्हें आप देना चाहते हों, के साथ उपस्थित हों।

स्थान : रिवाईजिंग अथॉरिटी का हस्ताक्षर

दिनांक :

प्रमाणित किया जाता है कि इस सूचना को मेरे द्वारा दिनांक .... को श्री/श्रीमती/सुश्री ** .... पर निजी तौर पर/मकान पर चिपकाकर विधिवत तामिल किया गया।

स्थान : रिवाईजिंग अथॉरिटी का हस्ताक्षर

दिनांक :

---

* यहाँ उस व्यक्ति का नाम अंकित करें जिसके द्वारा आपत्ति की गई है।

** यहाँ उस व्यक्ति का नाम अंकित करें जिसपर सूचना तामिल की गई है।

प्रपत्र-6

(देखिये नियम 29(1))

वार्डों की सूची के प्रकाशन हेतु विहित प्रपत्र

1. नगरपालिका का नाम - ....

2. अनुमंडल का नाम - ....

3. जिला का नाम - ....

क्रम संख्या	वार्ड संख्या	वार्डों की जनसंख्या (अद्यतन जनगणना के अनुसार)				वार्ड की चौहद्दी
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	अन्य	कुल	
1	2	3	4	5	6	7

स्थान ....

तारीख ....

जिला दण्डाधिकारी

प्रपत्र-7

(देखिये नियम 29(2))

कोटिवार अनुमान्य पद

राज्य -
जिला का नाम -
अनुमंडल का नाम -
नगरपालिका का नाम -

नगरपालिका .... की जनसंख्या				वार्डों की कुल संख्या	कोटिवार अनुमान्य कुल पद			
					अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	पिछड़ा वर्ग	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	अन्य	कुल					

जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन
पदाधिकारी(नगरपालिका)

(1) **अनुसूचित जाति हेतु अनुमान्य पद की गणना**

$$\frac{\text{अनुसूचित जाति की जनसंख्या}}{\text{नगरपालिका की कुल जनसंख्या}} \text{ वार्डों की कुल संख्या } \ldots\ldots\ldots\ldots \text{ पद}$$

(2) **अनुसूचित जन जाति हेतु अनुमान्य पद की गणना**

$$\frac{\text{अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या}}{\text{नगरपालिका की कुल जनसंख्या}} \text{ वार्डों की कुल संख्या } \ldots\ldots\ldots\ldots \text{ पद}$$

(3) **पिछड़े वर्ग हेतु अनुमान्य पद की गणना**

(क) कुल पद - ....
(ख) कुल पदों का यथाशक्य 50 पद - ....
(ग) कुल पदों का यथाशक्य 20 पद - कुल पद $\frac{1}{5}$ ....पद
(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित पदों की संख्या ....
(ङ) पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित किए जाने वाले पदों की संख्या ....

(4) अनारक्षित पदों की संख्या - कुल पद - (घ ङ) .... पद

प्रपत्र-8

(देखिये नियम 29 (2)(iv))

नगरपालिका के वार्डों की कोटिवार जनसंख्या

राज्य -

जिला का नाम -

अनुमंडल का नाम -

नगरपालिका का नाम -

क्रमांक	वार्ड का संख्या/नाम	वार्ड क्षेत्रों के अन्तर्गत जनसंख्या			
		अनुसूचित जन जाति	अन्य	अनुसूचित जाति	कुल

जिला दंडाधिकारी

प्रपत्र-9

(देखिये नियम 29 (2)(iv)(i)(b))

नगरपालिका के वार्डों की कोटिवार अवरोही क्रम में जनसंख्या

राज्य -

जिला का नाम -

अनुमंडल का नाम -

नगरपालिका का नाम -

क्रमांक	अवरोही क्रम में अ.ज.जा. की संख्या	वार्ड संख्या	अवरोही क्रम में अन्य की संख्या	वार्ड संख्या	अवरोही क्रम में अ.जा. की संख्या	वार्ड संख्या	अवरोही क्रम में कुल जनसंख्या	वार्ड संख्या

पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड संख्या ....

जिला दंडाधिकारी

प्रपत्र-10

[देखिये नियम 29(2)(iv) एवं 30 (iv)]

आरक्षित/अनारक्षित वार्डों/नगरपालिकाओं की सूची

राज्य -

जिला का नाम -

अनुमंडल का नाम -

नगरपालिका का नाम -

क्रमांक	वार्ड/नगरपालिका का संख्या एवं नाम	कोटि जिसके लिए आरक्षित/अनारक्षित है	महिला के लिए आरक्षित/अन्य

जिला दंडाधिकारी

प्रपत्र - 11

(देखें नियम 41)

सूचना का प्रपत्र

.... जिला के नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत .... के............................. वार्डों के पार्षदों का निर्वाचन दिनांक... को किया जाना है,
(वार्डों की कुल संख्या)

मैं,..., निर्वाची पदाधिकारी एतद द्वारा
(निर्वाची पदाधिकारी का नाम)

निम्नलिखित आम सूचना देता हूँ :-

आम सूचना

(i) निर्वाचित होने वाले पार्षदों की संख्या......... है,	जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है -
* वार्ड संख्या	निर्वाचित किये जाने वाले कुल पार्षदों की संख्या
1.	2.

* वार्ड संख्या के बाद कोष्ट में आरक्षण की स्थिति दर्शायें।

(ii) नाम निर्देशन पत्र अधोहस्ताक्षरी को उनके कार्यालय ....(स्थान का नाम).. अथवा अपरिहार्य कारणों से उसे प्राप्त नहीं कर सकने की स्थिति में ....(सहायक निर्वाची पदाधिकारी का नाम).......... को ....(स्थान का नाम)........ पर दाखिल किया जा सकता है। नाम निर्देशन पत्र दिनांक..........(नाम निर्देशन पत्र दाखिला की अंतिम तिथि)..........को अथवा उसके पूर्व 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक प्रस्तुत किया जा सकता है।

(iii) नाम निर्देशन का प्रपत्र उपरोक्त पदाधिकारियों के कार्यालय से दिनांक................से दिनांक............ तक ....बजे से ....बजे तक प्राप्त किया जा सकता है

(iv) नाम निर्देशन पत्रों की सवीक्षा दिनांक.......(स्थान का नाम)... को ....पर 11.00 बजे पूर्वाह्न में प्रारंभ होगी।

(v) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दिनांक............................ को अपराह्न 3 बजे के पूर्व तक ....(स्थान का नाम)..........पर दाखिल किया जा सकता है।

(vi) सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान दिनांक........................को ....बजे पूर्वाह्न से..........बजे अपराह्न तक होगी।

निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर

स्थान-
तिथि -
पता..............................

प्रपत्र - 12

(देखें नियम 42)

नाम निर्देशन का प्रपत्र

नाम निर्देशन पत्र

नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत ....के वार्ड संख्या................ जिसके अभ्यर्थी के लिए नाम निर्देशित।

अभ्यर्थी का नाम...

पिता का नाम..

उम्र ....पता ....

....

अभ्यर्थी का नाम वार्ड संख्या.......... की मतदाता सूची में मतदाता के रुप में दर्ज है।

मतदाता सूची में अभ्यर्थी का क्रमांक..

प्रस्तावक का नाम..

प्रस्तावक का नाम वार्ड संख्या....... की मतदाता सूची के क्रमांक .... पर दर्ज है

प्रस्तावक का हस्ताक्षर..

समर्थक का नाम..

समर्थक का नाम वार्ड संख्या......... की मतदाता सूची के क्रमांक .... पर दर्ज है

समर्थक का हस्ताक्षर...

अभ्यर्थी की घोषणा

एतद द्वारा मै घोषित करता/करती हूँ कि मैं इस नाम निर्देशन से सहमत हूँ।

तिथि - अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

(निर्वाची पदाधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

क्रमांक ....

(स्थान का नाम)

यह नाम निर्देशन पत्र मुझे मेरे कार्यालय .... में दिनांक................ को ....बजे पूर्वाह्न/अपराह्न अभ्यर्थी द्वारा दिया गया।

तिथि- निर्वाची पदाधिकारी/सहायक निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर

संवीक्षा का प्रमाणपत्र

मैने अभ्यर्थी, प्रस्तावक एवं समर्थक की अहर्ता का परीक्षण कर लिया है और मै पाता हूँ कि वे क्रमशः निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने तथा उसे प्रस्तावित एवं समर्थन करने योग्य है।

स्थान -

तिथि- निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर

....छिद्रण..

नाम निर्देशन पत्र की प्राप्ति रसीद और संवीक्षा की सूचना

(नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को दी जाने के लिये)

नाम निर्देशन पत्र का अनुक्रमांक...

श्री/सुश्री/श्रीमती..., जो वार्ड संख्या.......................के पार्षद पद के निर्वाचन के लिये एक अभ्यर्थी है, का नाम निर्देशन पत्र मुझे दिनांक........................ को.........................बजे पूर्वाह्न/अपराह्न में अभ्यर्थी द्वारा परिदत्त किया गया। इस नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा दिनांक...................को ....बजे पूर्वाह्न/अपराह्न ....(स्थान का नाम).......... में की जायेगी।

निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र-13

(देखे नियम-48(4))

अभ्यर्थिता वापसी की सूचना

सेवा में,
निर्वाची पदाधिकारी
नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत.................................।

मै,..., पिता/ पति...जो नगर निगम/नगर परिषद/ नगर पंचायत..के वार्ड संख्या.................के निर्वाचन हेतु विधिमान्य रुप से नाम निर्देशित अभ्यर्थी हूँ, एतद द्वारा सूचित करता हूँ/करती हूँ कि मैं अपनी अभ्यर्थिता वापस लेता/लेती हूँ।.

तिथि -
स्थान -

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

इस वापसी की सूचना मुझे मेरे कार्यालय में दिनांक ....को ....बजे पूर्वाह्न/अपराह्न में अभ्यर्थी द्वारा परिदत्त किया गया है।

निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर

वापसी की सूचना के लिए रसीद

(सूचना देने वाले अभ्यर्थी को दिये जाने के लिए)

श्री /सुश्री /श्रीमती,..,
जो नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत.. के वार्ड संख्या........................ के पार्षद पद के लिए निर्वाचन हेतु विधिमान्य रुप से नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थी है , द्वारा अभ्यर्थिता वापसी की सूचना मुझे अभ्यर्थी द्वारा मेरे कार्यालय में दिनांक................................
को .... बजे पूर्वाह्न/अपराह्न में दी गई जिसकी प्राप्ति स्वीकार की जाती है।

तिथि -

निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र-14(क)

(देखे नियम-48(3))

विधिमान्य अभ्यर्थियो की सूची

जिला.................. नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत................................, के वार्ड संख्या ....

क्रमांक	वार्ड संख्या	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	अभ्यर्थी का पता
1	2	3	4	5

तिथि -

हस्ताक्षर

निर्वाची पदाधिकारी का

प्रपत्र–14(ख)

(देखे नियम-50(3))

अभ्यर्थिता वापसी के पश्चात लड़नेवाले वैध अभ्यर्थियो की सूची

जिला.................... नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत....................., के वार्ड संख्या....................

क्रमांक	वार्ड संख्या	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	अभ्यर्थी का पता	आवंटित निर्वाचन प्रतीक
1	2	3	4	5	6

तिथि -

निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र-15
(देखें नियम-54)

निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति

मैं (अभ्यर्थी का नाम).., जो .... नगरपालिका के वार्ड संख्या .... का अभ्यर्थी हूँ, आज की तारीख से एतद् द्वारा श्री .... (अभिकर्ता का नाम एवं पता) को अपना निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त करता/करती हूँ।

स्थानाः ....

तारीख : .... अभ्यर्थी का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

मैं उपर्युक्त नियुक्ति स्वीकार करता /करती हूँ।

स्थानाः ....

तारीख : ....

निर्वाचन अभिकर्ता का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

अनुमोदित

स्थानाः ....

तारीख : ....

निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र-16

(देखे नियम-55)

मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति

मैं (अभ्यर्थी का नाम).., जो .... नगरपालिका के वार्ड संख्या .... का अभ्यर्थी हूँ, एतद् द्वारा श्री .... (अभिकर्ता का नाम एवं पता) को मतदान केन्द्र संख्या .... स्थान .... पर अपने मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता/करती हूँ।

स्थानाः ....

तारीख : ....

~~अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान~~

(मतदान अभिकर्ता द्वारा घोषणा जिसपर पीठासीन पदाधिकारी के समक्ष उसके द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा।)

मैं एतद् द्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं उपर्युक्त निर्वाचन में अध्यादेश एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा निषिद्ध कोई भी कार्य नहीं करूँगा/करूँगी।

स्थान: ....

तारीख : ....

मतदान अभिकर्ता का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

मेरे सामने हस्ताक्षर किया गया।

पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र-17

(देखे नियम-57)

गणन अभिकर्ता की नियुक्ति

मैं (अभ्यर्थी का नाम)..., जो .... नगरपालिका के वार्ड संख्या .... का अभ्यर्थी हूँ/मैं, (निर्वाचन अभिकर्ता का नाम) .... जो श्री /सुश्री/श्रीमती .... जो उपर्युक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हैं , का निर्वाचन अभिकर्ता हूँ,

एतद्द्वारा श्री /सुश्री/श्रीमती .... पता .... को मतगणना के दौरान .... स्थान पर गणन अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता/करती हूँ।

स्थानः ....

तारीख : ....

अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

मैं गणन अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हूँ।

स्थान ....

तारीख ....

गणन अभिकर्ता का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

(गणन अभिकर्ता की घोषणा जिसपर निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष उसके द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा।)

मैं, घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त निर्वाचन में अध्यादेश एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा निषिद्ध कोई भी कार्य नहीं करूँगा/करूँगी।

स्थान ....

तारीख ....

गणन अभिकर्ता का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

मेरे सामने हस्ताक्षर किया गया ।

निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र-18 (क)

(देखे नियम-71)

दृष्टिहीन /निःशक्त मतदाताओं के सहायक द्वारा घोषणा

.... नगरपालिका के वार्ड संख्या .... से पार्षद के लिए निर्वाचन।

मतदान केन्द्र संख्या ....

स्थानः ....

मैं एतद् द्वारा निष्ठापूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मैं .... (मतदाता का नाम) के सहयोगी के रूप में उसकी तरफ से दिये गये मत को गुप्त रखूँगा/रखूँगी तथा मैंने किसी मतदान केन्द्र पर किसी दूसरे मतदाता के सहयोगी के रूप में कार्य नहीं किया है।

सहयोगी का हस्ताक्षर

पीठासीन पदाधिकारी का प्रतिहस्ताक्षर

स्थान ....

तारीख ....

प्रपत्र-18 (ख)

(देखे नियम-71)

दृष्टिहीन /निःशक्त मतदाताओं की सूची

.... नगरपालिका के वार्ड संख्या .... से पार्षद के लिए निर्वाचन।

मतदान केन्द्र संख्या ....

स्थानः ....

क्रमांक	मतदाता सूची का क्रमांक	मतदाता का पूरा नाम	सहायक का पूरा नाम	सहायक का पूरा पता	सहायक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
1	2	3	4	5	6

स्थान ....

तारीख ....

पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र-19

(देखे नियम-72)

निविदत्त मतों की सूची

.... नगरपालिका के वार्ड संख्या .... से पार्षद के लिए निर्वाचन।

मतदान केन्द्र संख्या ....

स्थानः ....

क्रमांक	मतदाता का नाम	मतदाता सूची का क्रमांक	उस वार्ड की संख्या जिसकी मतदाता सूची है	निविदत्त मतपत्र का क्रमांक	मतदाता का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
1	2	3	4	5	6

स्थान ....

तारीख ....

पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र-20

(देखे नियम-73)

आक्षेपित मतों की सूची

.....................नगरपालिका के वार्ड संख्या .... से पार्षद के लिए निर्वाचन।

मतदान केन्द्र संख्या ....

स्थानाः ....

क्रमांक	मतदाता का नाम	मतदाता सूची में क्रमांक	उस वार्ड की संख्या जिसकी मतदाता सूची है।	जिस व्यक्ति के खिलाफ आक्षेप किया गया है उस व्यक्ति का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान।	जिस व्यक्ति के खिलाफ आक्षेप किया गया है उस व्यक्ति का पता

यदि कोई पहचानने वाला है तो उसका नाम	आक्षेपकर्ता का नाम	राशि जमा करने पर आक्षेपकर्ता का हस्ताक्षर	पीठासीन पदाधिकारी का आदेश

स्थान ....

तारीख ....

पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र–21

(देखे नियम-75)

निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र हेतु आवेदन

सेवा में,

निर्वाची पदाधिकारी ,

.... नगरपालिका ।

महाशय,

मैं .... नगरपालिका के वार्ड संख्या .... के लिए होने वाले चुनाव में अपना मत देना चाहता हूँ।

मैं इसी वार्ड के अंतर्गत दूसरे मतदान केन्द्र पर , जो उस मतदान केन्द्र से भिन्न है, जहाँ मैं वोट देने हेतु अर्हित हूँ, निर्वाचन कर्तव्य पर प्रतिनियुक्त हूँ।

मेरा नाम वार्ड संख्या .... की मतदाता सूची के .... क्रमांक पर अंकित है।

अनुरोध है कि मुझे प्रपत्र 22 में निर्वाचन-कर्तव्य प्रमाण पत्र निर्गत करने की कृपा की जाए ताकि मतदान तिथि को मैं उसी मतदान केन्द्र पर मतदान कर सकूँ, जहाँ मैं कर्तव्य पर प्रतिनियुक्त हूँ।

स्थान ....

दिनांक ....

आपका विश्वासी,

(आवेदक का हस्ताक्षर)

प्रपत्र-22

(देखे नियम-75)

निर्वाचन-कर्त्तव्य प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/श्रीमती .... नगरपालिका के अधीन वार्ड संख्या .... के मतदाता हैं एवं संबंधित मतदाता सूची में उनका क्रमांक .... है। उस मतदान केन्द्र से भिन्न, जहाँ वे मतदान करने हेतु अर्हित हैं, निर्वाचन-कर्त्तव्य पर अन्य मतदान केन्द्र पर प्रतिनियुक्त रहने के कारण वे अपना मतदान करने के योग्य नहीं हैं। अतः एतद्‌द्वारा उन्हें .... वार्ड के अंतर्गत मतदान तिथि के दिन अपने कर्तव्य के मतदान केन्द्र पर मतदान करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

स्थान ....

तिथि ....

निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं सील

प्रपत्र-23(क)

(देखें नियम-78)

मतपत्र लेखा

.... नगरपालिका के वार्ड संख्या .... से पार्षद् के लिए निर्वाचन।

मतदान केन्द्र संख्या ....

स्थानः ....

	अनुक्रमांक	कुल संख्या
1. मतदान केन्द्र के पीठासीन पदाधिकारी द्वारा प्राप्त मतपत्रों की संख्या	..........से..........	....
2. उपयोग में नहीं लाए गए मतपत्रों की संख्या	..........से..........	....
3. उपयोग में लाए गए मतपत्रों की संख्या (1 - 2 3)		
4. उपयोग में लाए गए किन्तु मतपेटी में नहीं डाले गए मतपत्र		
(क) रद्द किए गए मतपत्रों की संख्या		....
(ख) निविदत्त मतपत्रों की संख्या		....
(ग) मुद्रण/लेखन की त्रुटि के कारण रद्द किए गए मतपत्रों की संख्या		....
योग (क ख ग)		
5. मतपेटी में डाले गए मतपत्रों की संख्या (3 4 5)		....

स्थान ....

तारीख ....

पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र-23(ख)

(देखें नियम-78)

पेपर सील लेखा

.... नगरपालिका के वार्ड संख्या .... से पार्षद् के लिए निर्वाचन।

मतदान केन्द्र संख्या ....

स्थानः ....

भाग (एक)

क्रमांक	व्यवहृत मतपेटी की संख्या	व्यवहृत पेपर सील का अनुक्रमांक	अभियुक्ति
1	2	3	4

भाग (दो)

	अनुक्रमांक	कुल संख्या
1. प्राप्त पेपर सील की संख्या	...........से.............	....
2. व्यवहृत पेपर सील की संख्या	...........से.............	....
3. बर्बाद पेपर सील, यदि हो, की संख्या	...........से.............	....
4. अव्यवहृत पेपर सील, जिसे निर्वाची पदाधिकारी को वापस किया गया [1 - (2 +3)]	...........से.............	....

मतदान अभिकर्त्ता/अभिकर्त्ताओं का हस्ताक्षर

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

स्थान ....

तारीख ....

पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र-24(क)

(देखें नियम-81 (ङ))

प्रत्येक मतदान केन्द्र पर मतपेटी में पाए गए मतपत्रों का विवरण

नगरपालिका का नाम -
वार्ड संख्या -
मतदान केन्द्र संख्या -

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	मतदान केन्द्र की संख्या	प्रत्येक अभ्यर्थी के पक्ष में दिए गए विधिमान्य मतों की संख्या
1	2	3	4

विधिमान्य मतों की कुल संख्या	प्रतिक्षेपित मतों की संख्या	निविदत्त मतों की संख्या	अभियुक्ति
5	6	7	8

स्थान ....

तारीख ....

निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र-24(ख)

[देखे नियम-81(g)(ii)]

निर्वाचन के मतों की गणना का परिणाम पत्र

नगरपालिका का नाम .... वार्ड की संख्या ....

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी के पक्ष में दिए गए विधिमान्य मतो की संख्या।
	योग	

(क) विधिमान्य मतों की कुल संख्या

(ख) प्रतिक्षेपित मतों की कुल संख्या

(ग) डाले गए मतों की कुल संख्या

(क ख)

मतगणना का स्थान ....

तारिख ....

निर्वाची पदाधिकारी / निर्वाची पदाधिकारी
द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र-25

[देखे नियम-84(3) तथा 96(4)]

निर्वाचन प्रमाण पत्र

मैं .... निर्वाची पदाधिकारी इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैंने दिनांक .... माह .... वर्ष ....को श्री/सुश्री/श्रीमती ....जो श्री/श्रीमती .... के/की पुत्र/पुत्री/ पत्नी हैं और जो .... के/कीं निवासी हैं, को पार्षद/मुख्य पार्षद /उप मुख्य पार्षद के रूप में वार्ड संख्या ..../ नगरपालिका......................से, जो .... के लिए आरक्षित/अनारक्षित है, सम्यक् रूपेण निर्वाचित घोषित किया है तथा प्रमाण स्वरूप मैंने उन्हें यह निर्वाचन प्रमाण पत्र दिया है।

स्थान ....

तारीख ....

निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर
(पदनाम की मुहर)

प्रपत्र-26

[देखे नियम-95]

मुख्य पार्षद/उप मुख्य पार्षद् के निर्वाचन हेतु नामांकन पत्र

.... नगरपालिका के मुख्य पार्षद/उप मुख्य पार्षद के निर्वाचन के लिए।

अभ्यर्थी का पूरा नाम ....

उसका पता ....

प्रस्तावक का पूरा नाम ....

उसका पता ....

प्रस्तावक का हस्ताक्षर

समर्थक का पूरा नाम ....

उसका पता ....

समर्थक का हस्ताक्षर

(अभ्यर्थी की घोषणा)

मैं एतद् द्वारा यह घोषणा करात हूँ कि मैं उपर्युक्त निर्वाचन हेतु अपने नाम निर्देशन से सहमत हूँ।

स्थान ....

तारीख .... अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

(निर्वाची पदाधिकारी का आदेश)

नाम निर्देशन पत्र स्वीकृत/*अस्वीकृत किया जाता है।

निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर

*अस्वीकृति के कारणों का उल्लेख किया जाएगा।

प्रपत्र-27

[देखे नियम-96(2)(क)]

मुख्य पार्षद/उप मुख्य पार्षद के निर्वाचन हेतु मतपत्र

.... नगरपालिका के मुख्य पार्षद/उप मुख्य पार्षद के निर्वाचन के लिए।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	क्रॉस चिह्न (X) के लिए स्थान

निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र-28

[देखे नियम-96(4)]

मुख्य पार्षद्/उप मुख्य पार्षद् से संबंधित निर्वाचन परिणाम की विवरणी एवं घोषणा

.... नगरपालिका के मुख्य पार्षद/उप मुख्य पार्षद का निर्वाचन।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी के पक्ष में विधिमान्य मतों की संख्या

(क) विधिमान्य मतों की कुल संख्या -

(ख) अविधिमान्य मतों की कुल संख्या -

(ग) डाले गए मतों की कुल संख्या -

(क ख)

मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि

नाम ....

पता ....

उपर्युक्त पद के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान ....

तारीख ....

निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर